www.vi n

भूदान-यज्ञ

भूदान-यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक क्रान्ति का सन्देशवाहक- साप्ताहिक

सर्व सेवा संघ का मुख पत्र

वर्ष : १५ अंक : ४६

सोमवार १८ अगस्त, '६९

अन्य पृष्ठों पर

अफ्रीका से खुशखबरी —सुरेशराम ५७०
उनका आना और जाना —सम्पादकीय ५७१
हिंसक क्रान्ति : सम्भावनाएँ और सीमाएँ —जयप्रकाश नारायण ५७२
कानून और पुलिस का संरक्षण : एक कोरा वहम —कामतानाथ गुप्त ५७५
छोटानागपुर क्षेत्र के आदिवासी... —हरमन लकड़ा ५७७
भागलपुर में 'हिरोशिमा-दिवस' ५७९
हिमांचल की याद —लक्ष्मी बहन ५८१

अन्य स्तम्भ

आन्दोलन के समाचार : प्रादेशिक पत्र

यह (सर्वोदय का) आन्दोलन भौतिक नहीं है। इसका असर भौतिक क्षेत्र पर पड़ेगा, सामाजिक और आर्थिक पर भी पड़ेगा। लेकिन यह आन्दोलन मूलतः आध्यात्मिक है, इसलिए जितनी हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, उतना ही उसका प्रचार जनता में होगा। —विनोबा

सम्पादक

सर्व सेवा संघ प्रकाशन,
राजघाट, वाराणसी-१ उत्तरप्रदेश
फोन : ४२८५ : ४३९१

अहिंसा पर आधारित स्वराज्य

"स्वराज्य एक पवित्र शब्द है; वह एक वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ आत्मशासन और आत्मसंयम है। अंग्रेजी शब्द 'इण्डिपेण्डेन्स' अकसर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आजादी का या स्वच्छन्दता का अर्थ देता है; वह अर्थ 'स्वराज्य' शब्द में नहीं है।"[1]

"अहिंसा पर आधारित स्वराज्य में लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अपने कर्त्तव्यों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हर एक कर्तव्य के साथ उसकी तौल का अधिकार जुड़ा हुआ होता ही है, और सच्चे अधिकार तो वे ही हैं; जो अपने कर्तव्यों का योग्य पालन करके प्राप्त किये गये हों। इसलिए नागरिकता के अधिकार सिर्फ उन्हींको मिल सकते हैं, जो जिस राज्य में रहते हों, उसकी सेवा करते हों। और सिर्फ वे ही इन अधिकारों के साथ पूरा न्याय कर सकते हैं। हरएक आदमी को झूठ बोलने और गुण्डागिरी करने का अधिकार है, किन्तु इस अधिकार का प्रयोग उस आदमी और समाज, दोनों के लिए हानिकर है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करता है, उसे प्रतिष्ठा मिलती है और इस प्रतिष्ठा के फलस्वरूप उसे अधिकार मिल जाते हैं। और जिन लोगों को अधिकार अपने कर्तव्यों के पालन के फलस्वरूप मिलते हैं, वे उनका उपयोग समाज की सेवा के लिए ही करते हैं, अपने लिए कभी नहीं।

"अहिंसा पर आधारित स्वराज्य में कोई किसीका शत्रु नहीं होता, सारी जनता की भलाई का सामान्य उद्देश्य सिद्ध करने में हरएक अपना अभीष्ट योग देता है, सब लिख-पढ़ सकते हैं और उनका ज्ञान दिन-दिन बढ़ता रहता है। बीमारी और रोग कम से-कम हो जाय ऐसी व्यवस्था की जाती है। कोई कंगाल नहीं होता और मजदूरी करना चाहनेवाले को काम अवश्य मिल जाता है। ऐसी शासन-व्यवस्था में जुआ, शराबखोरी और दुराचार को या वर्ग-विद्वेष को कोई स्थान नहीं होता। अमीर लोग अपने धन का उपयोग बुद्धिपूर्वक उपयोगी कार्यों में करेंगे; अपनी शान-शौकत बढ़ाने में या शारीरिक सुखों की वृद्धि में उसका अपव्यय नहीं करेंगे। उसमें ऐसा नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए, कि चन्द अमीर तो रत्न-जटित महलों में रहें और लाखों-करोड़ों लोग ऐसी मनहूस झोपड़ियों में, जिनमें हवा और प्रकाश का प्रवेश न हो। अहिंसक स्वराज्य में न्यायपूर्ण अधिकारों का किसीके भी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता और इसी तरह किसीको कोई अन्यायपूर्ण अधिकार नहीं हो सकते। सुसंघटित राज्यसे किसीके न्याय्य अधिकार का किसी दूसरे के द्वारा अन्यायपूर्वक छीना जाना असम्भव होना चाहिए और कभी ऐसा हो जाय तो अपहर्ता को अपदस्थ करने के लिए हिंसा का आश्रय लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।"[2]

मो. क. गांधी

(१) 'यंग इण्डिया' : १९-३-'३१ (२) 'हरिजन' २५-३-'३९।

www.vinoba.in

अफ्रीका से खुशखबरी

अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा अभी तक गुलामी के पंजे में जकड़ा हुआ है। उसमें पाँच देश आते हैं—अंगोला, मोजाम्बीक, रोडेशिया, दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका। पहले के दोनों देशों में पुर्तगाली राज्य है, तीसरे में कहने को तो ब्रिटिश शासन है, लेकिन वहाँ के गोरों ने लन्दन-सरकार की परवाह किये बिना अपनी हुकूमत खड़ी कर ली है। चौथे में दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका है संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में, लेकिन वहाँ दक्षिण अफ्रीका की मनमानी चलती है, और पाँचवें में दक्षिण अफ्रीका गोराशाही का जबरदस्त अड्डा है, जहाँ गैर-गोरे डाक्टर तथा खिलाड़ी तक रंगभेद के शिकार हैं। ये पाँचों देश काफी सम्पन्न हैं, और दक्षिण अफ्रीका तो हीरे व सोनों की खानों के लिए सरनाम है।

जबतक ये पाँचों देश आजाद नहीं हो जाते, तबतक न केवल अफ्रीका की, बल्कि सारी दुनिया की शान्ति खतरे में है। इन सभी देशों में राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहे हैं—कहीं कुछ ठंडे, कहीं जोरदार। इन आन्दोलनों को अफ्रीका के स्वतंत्र देशों की हमदर्दी और मदद प्रायः मिलती रहती है, विशेषकर जैम्बिया के राष्ट्रपति काउण्डा, तैन्जानियाँ के राष्ट्रपति नेरेरे और इथोपिया के सम्राट हेल सिलासी से। और दक्षिणी अफ्रीका की रंग-भेद-नीति के खिलाफ तो संयुक्त राष्ट्र तक प्रस्ताव पास कर चुका है और बहुत से देशों ने उसके साथ राजनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद कर रखे हैं। लेकिन अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ उसका लेन-देन व्यवहार चल रहा है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका को बाकी दुनिया की ज्यादा परवाह भी नहीं है।

आर्थिक दृष्टि से तो वह मामला है ही, सैनिक दृष्टि से भी दक्षिणी अफ्रीका उस महाद्वीप में सबसे बलशाली है। वह हर साल लगभग ३५० करोड़ रुपये (अपने बजट का पाँचवाँ हिस्सा) सुरक्षा पर खर्च करता है। उसकी सेना में १६,२०० तैनात सिपाही हैं, और ४२,००० रिजर्व में हैं, जो किसी समय भी बुलाये जा सकते हैं। हथियारों में उसके पास है शर्मान और सेन्चूरियन टैन्क, फ्रांसीसी आर्मर्ड कारें, आदि। परमाणु-बम बनाने की योजना भी चल रही है। समुद्री बेड़े में ३३ जहाज हैं, जिनमें दो डेस्ट्रायर और छः एन्टी-सबमेरीन फ्रिजेट शामिल हैं। हवाई दल में तीन हजार सैनिक हैं और तरह-तरह के बाम्बर वगैरह हैं। पुलिस में २८,६०० तैनात आदमी हैं और १५,००० रिजर्व में। देहात-वासी गोरों ने संकट के लिए अपनी २१० टुकड़ियाँ बना रखी हैं जिनमें ५१,५०० सदस्य हैं। दक्षिणी अफ्रीका ज्यादातर हथियार फ्रांस से खरीदता है, और छोटी-छोटी चीजें खुद बना लेता है।

जाहिर है कि इतनी बड़ी शक्ति का हिंसा से मुकाबला करना हँसी-खेल नहीं है। विशेषकर अफ्रीका में तो किसीके वश का यह है ही नहीं। पिछले ८-९ वर्षों से कुछ कोशिश की गयी और शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वे सारे आन्दोलन कुचल डाले गये और जनता का दमन भी बहुत किया गया। वहाँ के स्वतंत्रताप्रेमी अपने सामने अल्जीरिया की मिसाल रखते हैं, उसीके सपने देखते हैं। और उनका ख्याल है कि अगर बड़े पैमाने पर हिंसा हो तो दक्षिणी अफ्रीका की गोरी सरकार बोल जायेगी।

लेकिन काफी वजनदार हिस्सा ऐसे लोगों का भी है, जो यह महसूस करते हैं कि हमें हथियारों की बजाय शान्ति व अहिंसा का रास्ता पकड़ना चाहिए और वह कारगर भी होगा। खुशी की बात है कि इस सिलसिले में पूर्वी और मध्य अफ्रीका के चौदह देशों के नेताओं का एक शिखर-सम्मेलन हाल में जैम्बिया की राजधानी लुसाका में हुआ। उसमें जैम्बिया, तन्जानियाँ, युगान्डा, कीनिया और मलावी के राष्ट्रपति शरीक हुए और युथोपिया के वयोवृद्ध सम्राट् भी पधारे। कई दिन तक परिस्थिति पर विचार करने के बाद उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया। उसमें इन्होंने माँग की कि दुनिया के सभी देश व्यापार-व्यवहार में दक्षिणी अफ्रीका का बहिष्कार करें। और साथ ही यह भी कहा—'जहाँ तक आजादी का सवाल है, इसमें न किसी समझौते की बात है और न झुकने की; लेकिन हम यह पसन्द करेंगे कि बर्बादी की बजाय बीच-विचाव का रास्ता अपनाया जाये, मार-काट की बजाय बातचीत व समझौता करने का।' अन्त में उन्होंने अपील की है: "अगर आजादी का शान्तिमय रास्ता सम्भव हो या बदलती हुई परिस्थिति उसे आगे भविष्य में सम्भव बना दे तो आजादी के आन्दोलनों में लगे अपने भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि वे संघर्ष के शान्तिमय तरीके अपनायें, चाहे परिवर्तन के समय पर कुछ समझौता ही क्यों न करना पड़ जाये।"

अफ्रीका के अनुभवी नेताओं ने स्वतंत्रता-प्रेमियों को यह बड़ी नेक सलाह दी है और हमारा विश्वास है कि वे इसे स्वीकार कर अपनी अहिंसक शक्ति खड़ी करेंगे। उससे जनता का भी मनोबल मजबूत होगा और वह पूरी तरह अपने नेताओं का साथ देगी। साथ-ही-साथ, दक्षिणी अफ्रीका की सरकार दुनिया में बदनाम होगी और अन्दर से उसका नैतिक बल गिरता चला जायेगा और वह कहीं की न रहेगी। दक्षिणी अफ्रीका और आस-पास के चारो देशों की आजादी हासिल करने का यही एक तरीका है। लेकिन इस पर सफलता के लिए यह जरूरी है कि स्वतंत्रता-सेनानियों में आपस में प्रेम और विश्वास हो और वे हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हों।

—सुरेशराम

'गाँव की आवाज'

अबतक आप 'भूदान-यज्ञ' के परिशिष्ट के रूप में 'गाँव की बात' पढ़ते रहे हैं। आगे आप गाँव की बात पढ़ना चाहते हैं तो 'गाँव की आवाज' के नाम से ४ रुपये वार्षिक शुल्क भेजिए। 'गाँव की आवाज' महीने में दो बार प्रकाशित होगी। पहला अंक प्रकाशित हो चुका है।

—व्यवस्थापक

www.vinoba.in

सम्पादकीय

उनका आना और जाना

वह हवा की तरह आये, और पानी की तरह चले गये। किसलिए आये थे, और क्यों इस तरह चले गये? राष्ट्रपति निक्सन दिल्ली में चौबीस घंटे भी नहीं रहे। प्रधानमंत्री से चर्चा भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने जो बातें कीं उनका एशिया पर गहरा असर पड़ेगा। क्या थीं वे बातें?

'हम चले, अपना घर संभालो।' कहने को उन्होंने बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन सौ बातों की यह एक बात कही।

अमेरिका विएतनाम से जा रहा है। उसने देख लिया कि शस्त्र-शक्ति की एक सीमा है। देश-प्रेम की शक्ति और मनुष्य के संकल्प को कोई भी शस्त्र-शक्ति झुका नहीं सकती। चन्द्रलोक की यात्रा करनेवाला अमेरिका विएतनाम के वीर युवकों और युवतियों के मुकाबिले मुँह की खाकर जा रहा है। स्वतंत्रता का प्रेमी कौन ऐसा होगा जो अमरिकी साम्राज्यवाद की विएतनाम से इस विदाई पर खुश नहीं होगा? अमेरिका को जाना ही था, जा रहा है, इसमें निक्सन को कहना क्या था? लेकिन नहीं, कहना यह था कि अब एशिया के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी देशों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए; अब आगे अमेरिका दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ेगा। यह बहुत बड़ी बात थी जो निक्सन को कहनी थी। मदद भी वह उन्हींको देगा, जो अपनी मदद के लिए अपने-आप या आपस में मिलकर खड़े होंगे। किसी देश को कम्यूनिस्टों से बचाने की जिम्मेदारी अकेले अमेरिका पर क्यों रहे?

अबतक विएतनाम में जो इतना खून बहा है वह सिर्फ इसलिए कि अमेरिका एशिया में कम्यूनिस्ट शक्ति को बढ़ने नहीं देना चाहता था। अमेरिका के हट जाने पर जो जगह खाली होगी उसे भरनेके लिए चीन दौड़ेगा, रूस दौड़ेगा। रूस और अमेरिका की—चीन की भी—विश्व-व्यापी समर-रचना है। ये सब दुनिया के हर कोने में रहना चाहते हैं, ताकि लड़ाई के समय कोई कहीं कमजोर न साबित हो। भले ही अमेरिका की सेनाएँ धीरे-धीरे विएतनाम से निकल जायँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वह एशिया की ओर से गाफिल हो जायगा। क्या रूस, और क्या अमेरिका और क्या चीन, जितने भी 'साम्राज्यवादी' देश हैं—चीन भी वही है किन्तु अभी छोटा भाई है—वे यह कोशिश करते हैं कि अधिक-से-अधिक देशों के जीवन में उनका प्रवेश हो। वे राजनीति में दखल देते हैं, सैनिक-अड्डे बनाते हैं, सैनिक-संधि करते हैं, तथा व्यापार और विकास को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा तथा शिक्षितों तक को अछूता नहीं छोड़ते। ये सब कोशिशें बड़े देशों की ओर से बराबर चलती रहती हैं, और आगे भी चलती रहेंगी। रूस भी अब भले एशिया में और पाकिस्तान के जरिए हिन्द महासागर में प्रवेश कर रहा है। एशिया की गरीबी और विषमता ऐसी है कि उसके कारण लगभग हर देश में रूसवादी और चीनवादी साम्यवादी शक्तियाँ पैदा हो गयी हैं। उनके पास राष्ट्रीयता और समता, दोनों का नारा है। अमेरिका के पास क्या है? कुबेर का धन है, और साम्यवाद के विरोध का नारा है। जनता को प्रेरित करनेवाली कौनसी शक्ति उसके पास है? अमेरिका दुनिया में 'स्टेटस-को' की आवाज बन गया है, करोड़ों गरीबों के लिए साम्यवाद समाज-परिवर्तन की पुकार है।

एक बात तय है। अमेरिका की सेनाएँ विएतनाम में रहें या न रहें, लेकिन अगर एशिया के छोटे, कमजोर, गरीब देश विकास के लिए विदेशी सन्दूक और सुरक्षा के लिए विदेशी बन्दूक का ही भरोसा करते रहेंगे तो उनकी परवशता बनी रहेगी, और वे अशांति और अस्थिरता से मुक्त नहीं हो सकेंगे। एशिया की मुक्ति—अफ्रीका की भी—उनके हाथ में है; न रूस के, न अमेरिका के, और न चीन के। एशिया को नया राजनीतिक संगठन चाहिए, नयी तकनीक चाहिए, नयी शिक्षा चाहिए, और जीवन की नयी डिजाइन चाहिए। उनका कल्याण इसीमें है कि वे अपने लिए पूँजीवाद और साम्यवाद, दोनों से भिन्न कोई तीसरा रास्ता निकालें। पूँजीवाद और साम्यवाद अलग-अलग परिस्थितियों में अपना चोला चाहे जितना बदलें, लेकिन ये दोनों शोषण और दमन की ही शक्ति पर टिकनेवाले हैं, इसलिए मूलतः मनुष्य-विरोधी हैं।

एशिया और अफ्रीका के पिछले बाईस वर्षों का क्या अनुभव है? हमारा अपने देश में क्या अनुभव है? क्या पश्चिम की नकल पर खड़ा लोकतंत्र का ढाँचा टिक सका? क्यों एक के बाद दूसरा देश सैनिक-तानाशाही का शिकार होता गया? क्या पूँजी से विकास हो सका? क्या पश्चिमी तकनीक हमारे काम आयी? क्या बन्दूक की गुलामी स्वीकार कर हम दिनोंदिन अधिक अरक्षित नहीं होते जा रहे हैं? क्या इतना सारा अकाट्य अनुभव हमें नयी दिशा की ओर प्रेरित करने के लिए काफी नहीं है? निक्सन ने ठीक कहा है कि एशिया की समस्याएँ हैं तो एशिया को ही समाधान ढूँढने पड़ेंगे।

अगर अमेरिका के विएतनाम से जाने के साथ-साथ एशिया (और भारत) की मानसिक गुलामी भी चली जाय तो मानना होगा कि विएतनाम ने अपने खून से पूरे एशिया और अफ्रीका को मुक्ति की एक नयी दिशा दिखायी।•

ग्रामदान-प्रखण्डदान-जिलादान

—३१ जुलाई '६९ तक—

	ग्रामदान	प्रखण्डदान	जिलादान
भारत में	१,१५,८९८	८६८	२२
बिहार में	४५,०६०	५०९	१३

www.vinoba.in

हिंसक क्रान्ति : सम्भावनाएँ और सीमाएँ

जयप्रकाश नारायण

अपने देश में २२ वर्ष हो गये स्वराज्य के। जवाहरलालजी भी कुछ समाजवादी तो थे ही, लेकिन इन २२ वर्षों में क्या क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ? केवल दो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए, एक तो जो राजाओं की प्रथा थी उसका उन्मूलन हुआ, वह प्रथा जड़ से खत्म कर दी गयी, दूसरी प्रथा जमीन्दारी, मालगुजारी, तालुकेदारी, इन सब प्रथाओं का उन्मूलन हुआ। लेकिन बावजूद इन दो के आज का जो वर्तमान समाज है भारत का, सामन्तवादी और पूँजीवादी समाज है। पहले तो ऐसा था कि देहातों में सामन्तवाद और जहाँ उद्योग वगैरह हैं वहाँ शहरों में पूँजीवाद, अब जो 'ग्रीन रेवोल्यूशन' हो रहा है उससे देहातों में भी पूँजीवाद घुस रहा है। बड़े-बड़े करोड़पतियों ने लाखों रुपया डाला है, कृषि में। जो पहले कृषक थे वे पूँजीपति बनते जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ सभी साधन इकट्ठे हो जाते हैं कृषक विकास के लिए—पानी, बिजली, खाद, नये बीज, बाकी अनाप-शनाप लोगों के यहाँ धन पैदा हो रहा है खास करके जिनके पास ज्यादा जमीन है, सैकड़ों एकड़ की बात नहीं, पच्चीस-पचास, सौ एकड़ जमीन भी हो। एक नया वर्ग पैदा हो रहा रहा है। इस वर्ग का गठबन्धन शहरों के पूँजीवादी वर्ग से होता जा रहा है। गले का फंदा पैदा हो रहा है।

आज के समाज का रूप सामन्तवादी-पूँजीवादी समाज है। उसी के सारे मूल्य, गाँव-गाँव में आज भी हैं। सामन्तवादी मूल्य में कुछ अच्छे मूल्य थे, कुछ बुरे थे। अच्छे मिटते चले जाते हैं। सामन्तवादी समाज में कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता था, एक पद्धति थी और उस समाज में सुरक्षा थी। मालिक गरीबों की देख-रेख करेगा, शादी, विवाह में, बीमारी में कुछ मदद कर देगा। पूँजीवाद में तो वह भी नहीं है। आप बीमार पड़िए, तो एक महीने की छुट्टी ले लीजिए, उसके बाद खटिया पर पड़े रहिए। छुट्टी बिना वेतन की मिलेगी। अगर सर्विस कायम रह जाये तो गनीमत है। ये पूँजीवाद के सारे मूल्य हैं। कोई मानवता की दृष्टि नहीं। जो नियम-कानून बने भी गरीबों के हित के लिए, कागज पर पड़े हैं! उस पर कोई अमल करना चाहता है तो एक हाहाकार मच जाता है।

बिहार-सरकार की असफलता

महामाया बाबू की जब मिनिस्टरी हुई तो मेरे ध्यान में आया कि कुछ काम इनके द्वारा अगर हो तो अच्छा है। मैंने बहुत मामूली-सी बात उनके सामने रखी कि कांग्रेस ने १९ वर्षों में जो कानून बनाये हैं गरीबों के हित के लिए, देहातों में जो गरीब हैं, उनके हित के लिए, उन कानूनों पर आप अमल कराइए। पहली बात हमने कही थी, जो पहला कानून श्री बाबू के जमाने में बना, बासगीत जमीन का कि जिस गरीब की झोपड़ी काश्तकार की जमीन पर खड़ी है वह टेनेन्सी ऐक्ट के द्वारा बास की रैयत होगी, बास की रैयती हो जाने पर वह बेदखल नहीं होगा। दूसरा कहा कि भूमि-सुधार-कानून के अन्दर जो हदबन्दी की दफा है उसपर अमल करा दें। तीसरी बात बटाईदार की हमने कही थी कि बटाइदारी के मामले में जो कानून पहले का बना हुआ है, अमल कराइए। सब लोगों ने इस विचार को माना। चौथी बात न्यूनतम मजदूरी कानून की, कि सालभर जो न्यूनतम मजदूरी-कानून है उसके अनुसार उन्हें मजदूरी मिलती है कि नहीं देखना चाहिए। और पाँचवीं बात हमने कही लाइसेन्स मनीलेण्डर्स ऐक्ट। साढ़े बारह प्रतिशत से ज्यादा पद कोई नहीं ले सकता है। ये पाँच बातें उनके सामने रखी थीं, जिनमें चार कानूनों से से सम्बन्ध रखती हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने दस्तखत से सभी लोगों की बैठक बुलाइए। हमने कहा कि कांग्रेस के लोगों को भी बुलाइए क्योंकि कानून तो उन्हींका बनाया हुआ है। तो मैंने सबको निमंत्रित किया। मैंने अपना विचार विस्तार से उनके सामने रखा। सब लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि यह बात ठीक है, होना चाहिए। पहली मीटिंग में कहा कि एक एडवाइजरी कमिटी बना दीजिए और उसका मुझे चेयरमैन बना दिया। उसके बाद दूसरी मीटिंग बुलायी एडवाइजरी की। कम्यूनिस्ट पार्टी को छोड़कर कोई आया ही नहीं। मैंने नाराज होकर पत्र लिखा तो तीसरी मीटिंग में सब लोग आये।

अब वहाँ सारी हवा बदल गयी। ठाकुर प्रसादजी जनसंघ के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि और सब बातें तो मान्य हैं, लेकिन बटाईदारी की बातें हम नहीं मानते। यह बटाईदारी का कान्टेक्ट, प्राइवेट कान्टेक्ट है। उसमें स्टेट को दखल देने का कोई अधिकार नहीं। उसमें समाज की तरफ से बोलने का कोई हक नहीं है। सिर्फ ५ प्रतिशत आदमियों पर इसका प्रभाव पड़ता था। इन्द्र दीप बाबू (तत्कालीन राजस्वमन्त्री) समझा नहीं सके, प्रेस कान्फ्रेन्स किया, भाषण किया, रेडियो पर बोले / ठाकुर बाबू ने कहा 'नहीं,' कैलाशपति मिश्रजी ने कहा 'नहीं,' अगर इसके ऊपर अमल करने का प्रयत्न किया गया तो खून का दरिया बह जायेगा। राजा बहादुर कामाख्यानारायण ने कहा कि ठाकुर बाबू ने जो कहा है वही हमारे दल की भी राय है। कुछ नहीं हुआ तो मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी।

ज्योति बसु से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आपकी तरफ मेरा ध्यान है। आपके मंत्रिमंडल में कोई दक्षिणपंथी नहीं है, बंगला-कांग्रेस से लेकर सभी वामपंथी अपने को कहते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या क्रान्तिकारी परिवर्तन करते हैं। हमने कहा कि शासन की व्यवस्था में अगर आप मूलगामी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो कुछ नहीं कर पाइएगा। आपकी क्रान्ति सब कागज पर रहेगी। यह सारा हमने इसीलिए कहा कि पहली बात को मैं पुष्ट करूँ, मैं इस नतीजे पर पहुँचता जा रहा हूँ कि कानून के जरिए सामाजिक क्रान्ति संभव नहीं है।

नक्सालवादियों का उदय

इस पर से निराश होकर कुछ नौजवान लोगों ने, कुछ ज्यादा उम्र के लोग भी

www.vinoba.in

हैं, पश्चिम बंगाल में, आंध्र में, केरल में, और उनके साथी और जगह हैं, उनकी संख्या थोड़ी है, ऐसा निर्णय किया कि यह क्रान्ति कानून के जरिए, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होगी। उन लोगों ने यह विचार रखा और वे लोग मार्क्सवादी पार्टी से अलग हुए। उन्होंने मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी कायम की। और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर हमारा विश्वास नहीं है, सब सुधारवादी हो गये हैं, अवसरवादी हो गये हैं। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास तो एक ही रास्ते पर है, वह सशस्त्र क्रान्ति है, सशस्त्र विद्रोह है। कैसे होगा, क्या होगा वह तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इस बात को मजबूती से रखा। नक्सालवादियों के लिए सहानुभूति इस कारण से पैदा हुई कि कम-से-कम यह उन्हें लग रहा है कि यह मार्ग क्रान्ति का मार्ग नहीं है, कुछ सुधार भले हो जाय।

क्रान्ति का भ्रम

अब यह विचारणा है कि यह जो हिंसा का मार्ग है और उसमें अबतक जो सफलता मिल पायी है, उस पर से हम किस निर्णय पर पहुँचते हैं। अगर इस मार्ग से हुई क्रान्तियों को, दोनों अर्थ में क्रान्ति वर्तमान समाज का आमूल परिवर्तन और नये समाज का निर्माण, इस कसौटी पर हम कसें तो क्या वे क्रान्तियाँ सफल मानी जायेंगी? मैंने क्रान्तियों का जो कुछ अध्ययन किया उस पर से मैं इस निर्णय पर पहुँचा कि वे सफल नहीं हुईं। उनकी सफलता का केवल भ्रम होता है। भ्रम इस कारण से होता है कि क्रान्ति का जो पहला भाग है वह तो पूर्ण रूप से सफल हो जाता है, लेकिन जो दूसरा भाग है, जो असली उद्देश्य है नये समाज का निर्माण, वह नहीं हो पाता है।

फ्रांस की महान क्रान्ति

अब सन् १७८९ से जितनी आधुनिक सामाजिक क्रान्तियाँ हुई हैं—'ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन' से लेकर आज तक, उनमें हम देखते क्या हैं? फ्रांस की क्रान्ति को आप लें तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि लुई के जमाने में जो समाज की रचना थी वह सामन्तवादी थी, अभी पूंजीवाद का जन्म ही हो रहा था। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उस क्रान्ति ने उस सामन्तवादी समाज की बुनियाद खोद डाली और वह सामन्तवादी समाज निर्मूल हो गया। कुछ साल के लिए निर्मूल हो गया और उसकी जो बुनियादी उपलब्धियाँ थीं वे कुछ कायम रह गयीं। किसानों की मिल्कियत वहाँ कायम हुई, जो आज तक चलती है। और नेपोलियन आया, या उसका पोता आया। उन्होंने भी उस सामन्तवाद को कायम नहीं किया। यह बात तो ठीक है। सन् १७८९ की क्रान्ति में लुई का भी कत्ल हुआ और बहुत से अन्य सामन्त लोगों का भी कत्ल हुआ। उनके स्टेट्स पर लोगों ने कब्जा कर लिया, खेती करनेवाले लोगों के हाथों में खेती गयी, लेकिन जो नया समाज उनको बनाना था, वह नहीं बन पाया। फ्रांस की क्रान्ति के नारे क्या थे? समता, स्वातंत्र्य, भ्रातृत्व। ऐसा समाज हम कायम करेंगे जिसमें समता होगी, स्वातंत्र्य होगा, भाईचारा होगा। अब उस क्रान्ति के १८० वर्ष हो गये, अबतक तो नहीं हुआ। निकट भविष्य में वहाँ समता होगी, स्वातंत्र्य होगा, या भ्रातृत्व कायम होगा इसकी कोई सम्भावना नहीं है।

रूस की क्रान्ति

रूस की क्रान्ति है। मैं जब नौजवान था, अमेरिका में पढ़ता था, जान रीड की वह पुस्तक मैंने वहीं पढ़ी 'टेन डेज द शुक द वर्ल्ड'। वह अन्तरात्मा को बिलकुल हिला देनेवाली पुस्तक! क्या हुआ? फ्रांस की क्रान्ति से नेपोलियन बोनापार्ट पैदा हुआ, लेनिन की क्रान्ति से स्टालिन पैदा हुआ। 'सभी सत्ता सोवियत की, यह उनका नारा था। सोवियत नाम तो है उस देश का। लेकिन सोवियत के हाथ में कोई पावर है ऐसा तो है नहीं। सत्ता तो कम्यूनिस्ट पार्टी के हाथ में है, उसमें भी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है। उन मुट्ठी भर लोगों में आपस में पैलेस रेवोल्यूशन (महल की क्रान्ति) होते रहते हैं। पावर में यह आयेगा कि वह आयेगा, इसके लिए आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वहीं पर सत्ता केन्द्रित है।

अब आप देखें रूस की क्रान्ति को, कोई हाल की तो बात है नहीं। ७ नवम्बर १९१९ को ५२ वर्ष पूरे हो जायेंगे। अब इन ५२ वर्षों में क्या हालत हुई? आज वहाँ मास्को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इतनी भी आजादी है कि जो भी बोलना चाहें बोलें, जो भी पढ़ना चाहें पढ़ें, जो लिखना चाहें लिखें? कब पूंजीवाद मिटा, कब सामन्तवाद मिटा! यहाँ भी क्रान्ति का पहला भाग तो पूर्ण रूप से सफल हुआ। जारशाही और उसके साथ जो सामन्तशाही थी वह मिट गयी और यहाँ रूस में तो पूंजीशाही भी पैदा हो गयी थी, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म पैदा हो गया था। यह साम्राज्य बना रहा था। दोनों वर्ग मिलकर चल रहे थे। इन दोनों वर्गों को उसने समाप्त कर दिया और उसकी जड़ उसने खोद डाली। जैसे फ्रांस में लुई की हत्या हुई, यहाँ जार की हत्या हुई, जारिना की हत्या हुई, जार के लड़कों की हत्या हुई, सबकी हत्या हुई। उसमें तो सफलता हुई। उसीसे भ्रम हुआ कि क्रान्ति सफल हो गयी। जिस तंत्र से, जिस सामाजिक रचना से, जिस व्यवस्था से जो लोग दुखित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, जिसके प्रति रोष था क्रान्तिकारियों का, पीड़ितों का, दुखितों का, उसको देखा आँखों के सामने कि वह खत्म हुआ। तो भ्रम हुआ कि पूर्ण रूप से क्रान्ति सफल हो गयी।

जागतिक साम्यवाद का स्वरूप

हमने क्रान्ति की परिभाषा में बताया था कि सत्ता के ढाँचे में पूर्ण परिवर्तन हो। सामाजिक क्रान्ति है तो जनता के हाथों में सत्ता हो, आर्थिक भी, राजनीनिक भी। न राजनीतिक, न आर्थिक किसी प्रकार की सत्ता श्रमजीवी के हाथों में आज है नहीं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि स्वत्वहरक (एक्सप्रोप्रिएटर्स) जब स्वत्वहीन (एक्सप्रोप्रिएट) हो जायेंगे तब मनुष्य स्वतंत्र होगा। सोवियत रूस में 'एक्सप्रोप्रिएटर्स' 'एक्सप्रोप्रिएट' हो गये लेकिन मनुष्य तो स्वतंत्र हुआ नहीं। चेकोस्लोवाकिया के कम्यूनिस्ट पार्टी के उस समय के सर्वश्रेष्ठ नेता ने इस बात का प्रयास किया कि अब पार्टी की तानाशाही को थोड़ा कम किया जाय, बुद्धिजीवियों को, लेखकों को, पत्रकारों को, विद्यार्थियों को, ट्रेड यूनियन्स को कुछ स्वतंत्रता दी जाय। २० जनवरी को उनका

वक्तव्य हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवाद को हम मानवीय चेहरा चढ़ाना चाहते हैं। इससे रूस के शासकों को इतना भय हुआ अपने ही क्षेत्र में, अपना ही कम्यूनिस्ट राज्य वहाँ है, थोड़ी-सी आजादी देना चाहा तो भय हुआ। उन्होंने उसे समझाया-बुझाया पकड़कर ले गये, डराया-धमकाया, वह सब हुआ। अन्त में उन्होंने देखा कि जब ये लोग नहीं मानेंगे तो, रातोंरात हवाई जहाज से रूस के टैंक पहुँच गये प्राहा में! उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर भी दुबचेक को निभाने की कोशिश की। जब देखा कि यह आदमी तो पक्का है। एक हद तक जाने को तैयार है, लेकिन इसके बाद आगे जाने को तैयार नहीं है तो हटा दिया। आप देखेंगे कि ५२ वर्ष के बाद यह हालत है कि बहुत मामूली तौर से रस्सी को ढीली की जाय साम्यवादी देश में, ऐसा नहीं है। तो साम्यवाद की बुनियाद कितनी कमजोर है! अपने नौजवानों से भय, अपने मजदूरों से भय, जनता से भय। उनको आजादी नहीं, न वे रोटी माँग सकते हैं, न हड़ताल कर सकते हैं, न वे कोई आवाज उठा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ठीक है, क्रान्ति के बाद कुछ वर्षों तक पुष्टि कर लेना है और जो पुराने तत्त्व हैं, उनको मिटा देना है। पर अब कहाँ हैं रूस में, पूँजीवादी तत्त्व, सामन्तवादी तत्त्व, अब किनसे भय है?

जब हमने मार्क्सवाद सीखा तब हमें यह बताया गया था कि जब दुनिया में साम्यवाद की स्थापना हो जायेगी तो विश्वशान्ति हो जायेगी। साम्यवादी क्रान्ति विश्वशान्ति लायेगी। अब हम ऐसी बात देख रहे हैं कि रूस भी कम्यूनिस्ट देश है, चीन भी कम्यूनिस्ट देश है, पर बित्ते भर जमीन के लिए लड़ाई चल रही है। अब यह कौनसा साम्यवाद हुआ? एक अजीब नक्शा हो गया है इस क्रान्ति का। ऐसा माना जाता था कि साम्यवाद में राष्ट्रवाद बह जायेगा, घुल जायेगा। लेकिन जितने साम्यवादी देश हैं सब राष्ट्रवाद के शिकार हो गये हैं। रूस भी राष्ट्रवादी राष्ट्र है, चीन है, युगोस्लाविया है, चेकोस्लोवाकिया भी है, पोलैंड भी है, सब हैं। कोई अन्तरराष्ट्रीयता हो, ऐसा उनमें दिखता नहीं है। जबतक डंडे के से जोर स्टालिन ने अन्तरराष्ट्रीयता कायम रखी तबतक वह रही। जब वह डंडा हटा तो यह हुआ कि हर देश को अपने ही ढंग से साम्यवादी क्रान्ति करने का अधिकार है। हर देश में अपना समाजवाद का रूप होगा। यह सारी मान्यताएँ लोगों की हुईं। जब मास्को में अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तो उद्देश्य यह था कि चीन को आइसोलेट (अलग) करें, लेकिन वह तो संभव नहीं हुआ। कई देशों की पार्टियाँ उसमें गयीं नहीं। उन्होंने उसमें भाग ही नहीं लिया। जो पार्टियाँ गयी थीं उन्होंने भी जो कुछ कहा था रूस ने चीन के बारे में, अन्तरराष्ट्रीयता के बारे में, अन्तरराष्ट्रीय साम्यवाद के बारे में बहुत पार्टियों ने 'नोट आफ रिजर्वेशन' के साथ मंजूर किया। कुछ ने दस्तखत करने से इनकार किया। यूरोप की सबसे बड़ी पार्टियाँ फ्रांस की और उसके बाद इटली की, दोनों ने रिजर्वेशन के साथ हस्ताक्षर किया। चेकोस्लोवाकिया को इटली की पार्टी ने आज तक मान्य नहीं किया। यह अधिकार एक देश के कम्यूनिस्ट राज्य को नहीं है कि दूसरे देश में जहाँ कम्यूनिस्ट राज्य है वहाँ हथियारों के बल पर दबाव डाले। लेकिन रूस की फौजें बैठी हुई हैं, हंगरी में, बुल्गारिया में, पोलैंड में, चेकोस्लोवाकिया में चली गयी, रूमानिया में नहीं है, कब चली जायगी मालूम नहीं। यह सारा मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि जो कुछ उन लोगों ने कहा था वह पता नहीं कब होनेवाला है! कब वह नया समाज बनेगा, जनता का राज होगा, श्रमजीवी का राज्य होगा, उसके हाथ में सत्ता होगी। कब वह जमाना आयेगा जब राज्य का ही लोप हो जायेगा। जितने उनके ऊँचे ऊँचे उद्देश्य थे, उनकी प्राप्ति कब होगी, पता नहीं।

ऐसा होता क्यों है?

प्रश्न उठता है कि यह होता क्यों है? हिंसक क्रान्तियों की यही परिणति होगी तो हर क्रान्तियों के नेता बेइमान होते हैं क्या? बदमाश होते हैं क्या? सत्तालोलुप होते हैं क्या? रक्त के लिए प्यासे होते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? वह इसलिए होता है कि हिंसा का यही लौजिक है। हिंसा से अगर क्रान्ति होगी तो परिणाम यही होगा, दूसरा कुछ हो नहीं सकता। क्या होता है हिंसक क्रान्ति में? जो बिखरी हुई, असंगठित हिंसा है, उस हिंसा में से एक संगठित हिंसा का जन्म होता है, इसको 'रेड आर्मी' कहें, 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी' कहें, जो कहें, सत्ता उनके हाथों में जाती है जिनके हाथों में इस संगठित हिंसा के साधन जाते हैं। तो मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि हिंसा से सामाजिक क्रान्ति हो ही नहीं सकती है।

—अगले अंक में करुणा की क्रान्ति

बिहार में ग्राम-स्वराज्य की शक्ति खड़ी करने के लिए पूरा समय लगा दूँगा!

राजकोट की प्रबन्ध-समिति के समक्ष जयप्रकाश नारायण की घोषणा

राजकोट। यहाँ २५,२६,२७ जुलाई '६९ को आयोजित प्रबन्ध-समिति की बैठक में बिहारदान के बाद की व्यूह-रचना के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि, "प्राप्ति के काम में तो मैं पर्याप्त समय नहीं दे सका, बिहारदान के बाद काम में मैं पूरा समय दूँगा।" इसी सिलसिले में आपने कहा कि, "अहिंसक क्रान्ति के लिए समाज की बुनियाद तक जाना अनिवार्य है। भारत में क्रान्ति का प्राथमिक क्षेत्र गाँव ही है।"

कानून और पुलिस का संरक्षण : एक कोरा वहम

[पिछली ३१ जुलाई को प० बंगाल की विधान-सभा में हुए ऐतिहासिक पुलिस-काण्ड के बाद शायद पहली बार आज की लोकतंत्रीय व्यवस्था को कायम रखने में मददगार एक मुख्य शक्ति-पुलिस ने भारत में लोकतंत्र के प्रति आस्थावान लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि लोकतंत्र की मुख्य शक्ति अगर 'लोक' न होकर 'तंत्र' हो जाय तो लोकतंत्र और लोक प्रतिनिधि की स्थिति क्या हो सकती है ? वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जितनी जल्दी पुलिस और सेना के सहारे को छोड़कर भारत 'लोक' की 'संगठित चेतना' को अपना आधार बनाने के काम में जुटेगा, उतनी ही जल्दी यहाँ का लोकतंत्र तानाशाही खतरे की स्थिति से दूर हटेगा। कानून, पुलिस, सेना से 'लोक'-संरक्षण का भरोसा एक कोरा वहम है। प्रस्तुत लेख में इसे स्पष्ट किया है जीवन भर कानून के द्वारा समाज में न्याय-स्थापन का काम करनेवाले एक रिटायर्ड जज कामतानाथ गुप्त ने। उत्तरप्रदेश के सर्वोदय-परिवार में 'जज साहब' के सम्बोधन से पुकारे जानेवाले श्री कामता नाथ गुप्त ने अपने जीवन को अब ग्रामदान-आन्दोलन के लिए समर्पित कर दिया है।—सं०]

कानून ही गुनहगार

पुलिस और कानून, खासकर भारत में किसीकी भी जान-माल और आबरू की हिफाजत न कर सकते हैं और न उन्होंने उनके संरक्षण की कोई जिम्मेवारी ही ली है। भारत के किसी पुलिस-सम्बन्धी या अन्य कानून में इस संरक्षण या उसकी जिम्मेवारी की कोई व्यवस्था नहीं है। यह केवल कल्पना ही रही है कि सरकार, पुलिस तथा कानून जान-माल और इज्जत की हिफाजत के लिए हैं। शायद ही भारतीय इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण मिले कि कानून या पुलिस ने किसी जुर्म, कत्ल, डकैती, चोरी, व्यभिचार, रिश्वतखोरी, चोरबाजारी आदि किसीको भी रोक पाने में सफलता पायी हो। जिस वक्त सेंध, चोरी, डकैती, कत्ल, व्यभिचार, गबन, ४२० आदि के जुर्म किये जाते हैं, उस समय पुलिस कहीं भी नजदीक नहीं होती, जो उन्हें रोक सके। कानून तो केवल कागजों के पन्नों के भीतर ही धरा रहता है। होता यह है कि जब ये अपराध हो चुकते हैं, तब कानून पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा कागजात की खानापूरी कराता है। कभी कोई सही जुर्म करनेवाला पकड़ा गया, तो कभी जुर्म न करनेवाला ही फँस गया।

कानून में जुर्म करने की कोई मनाही नहीं है। जितने जुर्म दंड देनेवाले कानून में दर्ज हैं उनकी केवल व्याख्या की गयी है। किसी कानून में ऐसा नहीं है कि किसी जुर्म करने की मनाही हो। जुर्म की व्याख्या कर दी गयी और फिर उसके बाद उस व्याख्या के अन्तर्गत जो जुर्म बना उसकी, जिस पर जुर्म साबित हुआ उसको, सजा दी गयी। इतना ही होता है। जिस प्रकार का समाज आज चल रहा है उसको कायम रखते हुए कानून और पुलिस अपराध बन्द नहीं करा सकती है। यह भी खामखयाली है कि सजा देने का असर यह हो सकता है कि अपराध कम हो जायँ या बन्द हो जायँ। अनुभव से यह बात सिद्ध नहीं है।

कामतानाथ गुप्त
रिटायर्ड जज

अंग्रेजों के जमाने में अपराध होते थे और उनके लिए सजाएँ भी होती थीं। वे ही सारे कानून कम-बेश अब भी लागू हैं और अंग्रेजों के चले जाने के इतने वर्षों के बाद अपराध बढ़े ही हैं, घटे नहीं हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज की समाज-व्यवस्था कायम रखते हुए अपराध कम नहीं हो सकते हैं, बढ़ते ही जायेंगे, और उनको सहन करना पड़ेगा। अपराधियों को सजा या दण्ड का कोई भय नहीं होता। अनुभव यह कहता है कि नेक आदमी ही कानून से डरा करते हैं और उस पर पावन्द रहने का ध्यान रखते हैं। अपराधियों के लिए कानून और पुलिस का कोई अस्तित्व नहीं है; अपराध करेंगे, सजा भी काटेंगे। एक बहुत बड़े पश्चिमी कानून के ज्ञाता का एक वाक्य है : "It is the law that commits sin."—यह कानून ही है जो गुनाह किया करता है।

समाज में बेकारी : जेल में काम भी भोजन भी

एक-दो उदाहरण जो मेरी जानकारी में हैं, उनको यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। अर्सा हुआ, लखनऊ के एक बाजार में दिन-दहाड़े एक अपराधी, एक पेड़ के नीचे सोते हुए दूकानदार के गले की जंजीर तोड़कर ले भागा। दूकानदार जग गया, उसने शोर मचाया। अपराधी कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया। मजिस्ट्रेट के इजलास पर कोर्ट-इन्सपेक्टर ने उसके खिलाफ यह दलील पेश की कि 'बड़ा शातिर चोर है, इस पर दफा ७५ लगायी जाय, यानी बढ़ी हुई सजा इसे दी जाय, क्योंकि दो बरस में इसने तीन चोरियाँ कीं।' पहली दफा जब पकड़ा गया तब मजिस्ट्रेट ने उसे दो महीने की कैद की सजा दी थी। कैद से छूटने के बाद ही उसने दूसरी चोरी की। तब मजिस्ट्रेट ने उसे ५ महीने की सजा दी। दूसरी सजा काटने के बाद फिर जब वह जेल से बाहर आया तो उसने यह तीसरी चोरी की है। अपराधी ने जवाब में कहा, "मेरी भी यही शिकायत है, जो कोर्ट-इन्सपेक्टर कर रहे हैं। क्योंकि पहली दफा जब मैंने चोरी की, तब मुझको मजिस्ट्रेट ने केवल दो महीने कैद की सजा दी, जब कि वे २ साल की कैद दे सकते थे। फिर दुबारा जब मैंने चोरी की; तब फिर मुझको ५ ही महीने की कैद दी गयी तो मेरी प्रार्थना है कि इस दफा इस तीसरी चोरी की सजा में मुझे २ बरस की पूरी कैद दी जाय।" पूछे जाने पर कि आखिर वह इतनी लम्बी सजा क्यों चाहता है, अपराधी बोला, "इसलिए कि समाज में मेरे लिए कोई रोजी-धन्धे की व्यवस्था नहीं है। मैं गरीब हूँ, जेल में काम भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा। तो बिना अपराध किये जेल में कैसे जा सकता हूँ ?" एक दूसरा उदाहरण—एक दफा बिजनौर में जबरदस्ती एक कहार कृषक के कान से सोने की एक छोटी बाली (Ring) नोचकर ले भागा था, जिसके अपराध में मैंने उसे १० बरस की कैद की सजा दी। तो उसने खुले इजलास में मेरा उपकार मानते

www.vinoba.in

हुए कहा "मुझे सन्तोष है कि आपने मेरे खाने-पीने की १० बरस की व्यवस्था कर दी है।" क्या ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में समाज की बनावट का भी कोई दोष माना जायेगा या नहीं ? मैं यहाँ पर कानून के गदहेपन और विसंगतियों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वह विषय तो अपने में अलग ही है। इस चर्चा का सारांश यह है कि कानून ने दरवाजा खोल रखा है कि अगर कोई काम और रोजगार न हो तो चोरी कर सकते हो, डाका, लूटमार कर सकते हो और फिर जेल में काम भी मिलेगा और खाने को भी मिलेगा।

संरक्षण जीवितों को नहीं मृतकों को

एक दफा बिहार में विनोबाजी की यात्रा में मैं सम्मिलित हुआ। उनकी सुबह की यात्रा प्रारम्भ होने पर उनके यात्री-दल में सबसे पीछे कुछ पुलिसवालों को उनकी वर्दी में मैंने देखा। पूछने पर विनोबाजी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखवा दिया था कि पुलिसवाले उनके साथ न भेजे जायँ। जवाब यह आया कि विनोबाजी को उनकी जरूरत नहीं है, फिर भी सरकार का फर्ज है कि उनके संरक्षण के लिए पुलिस उनके साथ भेजी जाय। मैंने उस समय कहा कि पुलिस के पास किसीके जान की संरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जिन्दे आदमी की वे हिफाजत नहीं कर सकते। जब वह मार डाला जायेगा, तब उसकी लाश की हिफाजत कर सकते हैं, और उसे बन्द बक्स में सील लगाकर पूरी हिफाजत के साथ उसे सिविल-सर्जन के पास पोस्ट-मार्टम् यानी चीर-फाड़ के लिए ले जा सकते हैं। और, फिर उस लाश की हिफाजत का सबूत भी इजलास पर देने की व्यवस्था है। इस तरह जिन्दा की हिफाजत नहीं, लाश की हिफाजत पुलिस और कानून कर सकते हैं। यदि कानून या पुलिस जिन्दा की हिफाजत कर सकते होते तो गांधीजी को ३ गोलियों का शिकार नहीं होना पड़ता।

क्या कानून या पुलिस उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि सरकारी मुलाजिम ठीक समय से काम करेंगे ? रिश्वत नहीं लेंगे ? हड़ताल नहीं करेंगे ? क्या कानून या पुलिस इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि रेलगाड़ियाँ ठीक समय से चलेंगी ? बरखिलाफ इसके समय-सारणियों में यह जाहिर कर दिया जाता है कि गाड़ियों के समय पर चलने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। रेलवे का कानून यह है कि बिना मुसाफिरों की स्वीकृति के रेल के डिब्बे में धूम्रपान नहीं किया जायेगा। लेकिन रेल के डिब्बे में ऐसा लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ यह लिखा मिलता है कि अगर कोई मुसाफिर ऐतराज करे तो धूम्रपान न किया जाये। कानून में धूम्रपान करनेवाले का ही यह कर्तव्य है कि वह स्वयं धूम्रपान करने के पूर्व मुसाफिरों की रजामन्दी हासिल करे, न कि उन मुसाफिरों का धर्म है कि वे ऐतराज करें, जिसका नतीजा प्रायः झगड़ा मोल लेना हुआ करता है। लेकिन वहाँ धूम्रपान हो रहा है और अन्य मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। उस समय पुलिस या कानून रेल के डिब्बे में क्या मदद करते हैं ?

अपराधी को सजा देने का क्या अधिकार है ?

क्या जनता की ५ मुख्य आवश्यकताओं (खाना, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा) की पूर्ति करने की व्यवस्था कोई पुलिस या कानून करती है या कर सकती है ? हाँ, एक उदाहरण हमारे पास यह जरूर है कि पुलिस के संरक्षण में शराब बिकवायी जा सकती है। क्या पुलिस या कानून ने इसकी जिम्मेदारी ली है या व्यवस्था की है कि नागरिक को सभ्य बनाया जा सके। क्या पुलिस या कानून ने कोई ऐसी व्यवस्था की है कि जनता को इस काबिल बनाये कि जनता स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना कार्यभार सम्भाले और उसे किसी व्यवस्थापक, मैनेजर, प्रबन्धक का मुँह न देखना पड़े। इतना और ध्यान में रखना है कि अगर जनता को सभ्य बनाने की कोई योजना या जिम्मेदारी कानून या पुलिस ने अपने हाथ में नहीं रखी है, यानी उसको सभ्य बनाने की कोई शिक्षा नहीं दी है तो कानून या पुलिस को क्या कोई अधिकार इसका होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसको कानून और पुलिस सजा दे ?

"When you have not taught the people to behave well, what right have you got to take the sword against them when they misbehave?" (अगर आपने लोगों को भद्र व्यवहार नहीं सिखाया है, तब आपको क्या अधिकार है कि उनके अभद्र व्यवहार के कारण उनके विरोध में आप खड्गधारी बनें ?) ऐसा एक दफा लार्ड मैकाले ने 'हाउस आफ कामन्स' में 'निःशुल्क शिक्षण बिल' पर बहस करते हुए कहा था।

अब प्रश्न होता है कि होना क्या चाहिए ? और कैसे होगा ? इसका कुछ संकेत महात्मा गांधी ने देश के सामने कुछ विस्तार सहित भी रखा था। उनकी अंत में एक वसीयत भी थी। हमने उनकी पूर्ण उपेक्षा की। उस नयी समाज-रचना को जिसकी जरूरत है और जिसका संकेत गांधीजी ने किया था, सन्त विनोबा पूरी तफसील के साथ सारे जगत्, और मुख्य रूप से इस देश के सामने वर्षों से प्रस्तुत कर रहे हैं; उनकी भी उपेक्षा की गयी।

आदर्शवादिता और वास्तविकता

यह कहने से काम नहीं चलेगा कि गांधी आदर्शवादी (Idealist) थे। यह भूलना नहीं चाहिए कि यह चमत्कारों का युग है। आदर्शवादिता (Idealism) जब परिश्रम किया जाता है, तब ही किसी हद तक वास्तविकता (Realism) में परिणत होती है। बीमारी की दवा सुझाये जाने पर औषधि का प्रयोग किये बिना, क्या स्वास्थ्य की आशा की जा सकती है ? गांधीजी का 'करो या मरो' का नारा आज भी लागू है। उन्होंने आदर्श को वास्तविकता में लाने का प्रयास किया और सफल भी हुए, लेकिन उससे बड़ा अन्धा कोई नहीं, जो देखते रहने पर भी नहीं देखता। आज के शासकों (कल्याणकारी समाज चलानेवालों) और राजनीतिक पार्टियों का इस देश में यही हाल है। अगर गांधीजी और विनोबाजी के सुझाये गये रास्ते के अतिरिक्त कोई अन्य सुझाव नयी समाज-रचना या समाज-सुधार का सन्तोषजनक किसी अन्य व्यक्ति के पास हो तो उसे देशहित में प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा उसे व्यावहारिक बनाने में जुट जाना चाहिए, जिसे गांधीजी ने देखा था, जिसे विनोबा कर रहे हैं।•

छोटानागपुर क्षेत्र के आदिवासियों की रामकहानी : श्री हरमन लकड़ा की जुबानी

[पिछले अंक में आप पढ़ चुके हैं आदिवासी नेता श्री हरमन लकड़ा से एक मुलाकात। आदिवासियों के उत्थान के लिए उनके मन में जो तड़प है, वह निरन्तर उनके प्रयासों में प्रगट होती रहती है। बिहार के आदिवासियों का एक संक्षिप्त इतिहास देकर उनके विकास की दिशा का संकेत करते हुए 'बाबा विनोबा भावेजी की सेवा में' उन्होंने यह लेख प्रस्तुत किया है। —सम्पादक]

जो भी कारण हो, चाहे आर्यों से खदेड़े जाने की वजह से या अपनी मर्जी से, यह बात निर्विवाद है कि आदिवासीगण अपने जीवन-यापन के लिए तराइयों को छोड़ जंगलों में रहना पसन्द किये। जगह-जगह जंगलों को काट-छाँटकर अपने ढंग से खेती, आखेट करके, नदी-नालों में मछली इत्यादि मारकर और जंगलों से साग-सब्जी, फूल-फल, कन्द-मूल खाकर जंगल-में-मंगल करते थे। इनकी दुनिया सीमित थी। दिमाग छोटा था, पर शायद दिल जरा बड़ा था। जब एक परिवार के लिए किसी खास वजह से जीवन-यापन नहीं हो पाता था, तो परिवार का एक हिस्सा दूसरी जगह जा बसता था। लोहार और कुम्हार के कामों को छोड़कर बाकी सब काम, जैसे-बढ़ई का काम, मिस्त्री का काम, घर बनाना, कपास ओटना और कपड़ा बुनना इत्यादि, हर परिवार में विरासत में चला आता था।

स्वायत्त ग्राम-व्यवस्था

गाँव बनते गये, सामाजिक ढाँचा बदलता गया। हर गाँव में पँचायतें बनीं। अभी भी वे पंचायतें हैं, मगर कुछ बिगड़ी रूप में। इनके बीच पर्दे का रिवाज न था, और न है। आजादी का जीवन था। पुरुष-स्त्री, लड़के-लड़कियाँ और सब परिवारों के लोगों का एकसाथ आना-जाना, काम करना (भारी कामों में सामूहिक मदद करना), शिकार खेलना, गीत-भजन और एकसाथ सम्मिलित नाच करना, ये सारी प्रथाएँ अभी तक चली आ रही हैं। कोई ऊँच-नीच नहीं था। जब गाँव बने तो गाँव में पंचायत-पद्धति गाँव-शासन के लिए बनायी गयी। यह पद्धति कब आयी, किस सदी में आयी, यह कहना मुश्किल है। गाँव के मालिक नहीं, पर महतो या मुण्डा (कहीं-कहीं दूसरा नाम भी है) या 'हेड मैन' चुने गये। गाँव का पुजारी 'पहन' कहलाया। गाँव का महतो, पहन और कम-से-कम तीन मुख्य व्यक्ति गाँव के पंचपरमेश्वर सर्व-सम्मति से चुने जाने लगे। एक बात जरूर है कि 'महतो' और 'पहन' का पद पुश्तैनी (हेरीडिटरी) भी हुआ। उनके बड़े लड़के के जिम्मे चला यह काम चला आता है। मगर इनको बदलने का हक किसी विशेष कारणवश गाँव के लोगों को सर्वसम्मति से था। पंचपरमेश्वर इसलिए कहे जाते थे कि इनका फैसला कोई तोड़ नहीं सकता था। वह अभी भी मानना पड़ता है। इनका आदर बहुत ज्यादा था, पर मौजूदा पंचायत-राज्य की वजह से अब उनका मान घटता चला जा रहा है। आज का पंचायत-राज्य ऊपर से लाद दिया गया है।

पंचायत-परिषदें

उराँव जन-जातियों के बीच कई गाँवों को मिलाकर गाँव-पंचायतों का 'फेडरेशन' हुआ। पाँच गाँवों को मिलाकर कहीं पाँच-पढ़ा बना, कहीं सात गाँवों को मिलाकर सात-पढ़ा कहलाया। इसी तरह नाव-पढ़ा, बारह-पढ़ा, इत्यादि बने। बड़ा-से-बड़ा इक्कीस और बाईस-पढ़ा तक है। मुण्डा भाइयों के बीच गोत्र के मुताबिक पढ़ा बने, जैसे—होरो-पढ़ा, तोपनो पढ़ा, इत्यादि। एक गोत्र के कई गाँववालों का एक पढ़ा बना। पढ़ा के राजा (मगर राजा, जैसा हम लोग समझते हैं वैसा नहीं, शायद 'प्रेसीडेंट' या 'चेयरमैन' का अर्थ लगायें तो अच्छा होगा।), दीवान (मंत्री), सेनापति, उनकी पलटन स्वयंसेवकों के अर्थ में समझना चाहिए, और कोटवार (चौकीदार या नोटिस बाँटने और ढिंढोरा पीटनेवाला) सर्वसम्मति से चुने जाते थे। इस तरह से जिस गाँव का राजा हुआ, पूरा गाँव राजा-गाँव, दीवान-गाँव, और कोटवार-गाँव इत्यादि कहलाया। जब पढ़ा की बैठकी होती थी या अभी भी जब होती है, तो आम की टहनी (डहुरा घुमाना) लेकर पूरे पढ़ा में घूमकर राजा और दीवान की आज्ञा से कोटवार गाँववालों को दिन, तारीख आदि की खबर देता था, आज भी देना पड़ता है। अहम सवाल या बड़े मुकदमे का फैसला पढ़ा-पंच करता था। समाज-विरोधी अपराध (एण्टीसोशल क्राईम) या किसी जबर्दस्त गुनाह की सबसे बड़ी सजा थी समाज से बहिष्कृत करने की, या फिर बहुत बड़ा जुर्माना देकर पूरे गाँववालों को भोज खिलाने की। इस फैसले के विरोध में कोई न गया है, न जा सकता है। खड़िया और दूसरी आदिवासी जातियों में करीब ऐसी ही पंचायतें हैं।

जमाने गुजर गये, कितने गुजरे पता नहीं। मुगलों के राज्य के समय इस झारखंड (झारखण्ड शब्द मुगल इतिहास में है) में कई बार मुगलों ने चढ़ाई की। वे राजाओं से कुछ पैसे वसूल कर चले जाते थे। इसके बाद बीच-बीच में मराठे लुटेरों का लुका-छिपा आक्रमण होता था। इनसे बचने के लिए और कुछ सेनापति, जो सरकार कहलाये, बने। ये 'लरका' या सरकार-लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध हैं।

अंग्रेज आये, इनसे आदिवासियों की लड़ाई जहाँ-तहाँ जोरों से हुई। वे कुछ सफल हुए और आदिवासियों का दमन करने के लिए उन्होंने गैर-आदिवासियों की जमीन-दारी-प्रथा चलायी। आदिवासी छाता लेकर नहीं चल सकता था, बर्तन में नहीं खा सकता था और बेगारी करने के लिए मजबूर किया जाता था।

विरसा भगवान का नेतृत्व

उन्नीसवीं शताब्दी के बीच मिशनरियों का आना हुआ। कुछ क्रीश्चियन हुए। पहले तो आदिवासी समाज को वे समझ नहीं पाये, और क्रीश्चियनों को बाकी आदिवासी, जिनको संसार (सांसारिक) कहते हैं, अलग रखना चाहे; मगर बाद में अपनी गलतियों को महसूस कर ऐसा करना छोड़ दिये।

मिशनरियों ने स्कूल, अस्पताल खोलकर आदिवासियों की आँखें खोलनी शुरू कीं। इनकी दुनिया का दायरा कुछ बढ़ने लगा। कुछ लोग शिक्षित हुए। बिरसा भगवान, जो चाईबासा खीश्चियन मिडल स्कूल में पढ़े थे, चौबीस या पच्चीस वर्ष की उम्र में आदिवासियों के एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक के रूप में सामने आये। वे बाँसुरी और मांदर बहुत सुन्दर बजाते थे। कुछ कविताएँ भी बना लेते थे। उन्होंने देखा कि आदिवासियों की दुनिया पर परदेशियों का हमला हो रहा है। इनसे बचने का उपाय वे सोचने लगे। उन सरदारों ने, जिनका वर्णन पहले हो चुका है। जिनमें कुछ खिश्चियन भी थे, और जो एक किस्म से राजनैतिक नेता भी थे बिरसा भगवान को अपना नेता बनाकर अंग्रेजों और परदेशियों के विरुद्ध लोहा लिया। छिटपुट लड़ाइयाँ हुईं, तीर चले, और मार-काट हुई, मगर बन्दूक के सामने हार खानी पड़ी। बिरसा बन्दी हुए, और जेल में शहीद होकर मरे।

इसके बाद अंग्रेजों ने मिशनरियों के सुझाने-बुझाने पर जमीन-सम्बन्धी कानूनों का सुधार किया। छोटानागपुर टेनेन्सी ऐक्ट बनाया। जहाँ-तहाँ कुछ स्कूल वगैरह खुले।

आदिवासियों के बीच अपना 'नेशनल ड्रींक' या हँड़िया था। यह चावल में अच्छी कच्ची जड़ी बूटियों को देकर और 'फरमेंट' लाकर बनाया जाता है। खासकर पर्व-त्योहारों में, बड़े-बड़े सामूहिक कामों में, जैसे—पूरे घर की मरम्मत, धान की रोपाई, बरसात भर के लिए लकड़ी जुटाने-करने इत्यादि के कामों के समय में हँड़िया का व्यवहार किया जाता था। यह विशेषकर थकावट मिटाने के लिए और नाच-गान करने के लिए लिया जाता था। अंग्रेजों ने भट्ठी खोल दी, और दारू बिकने लगी। पहले महुआ खाने के काम में आता था अब उसकी दारू बनने लगी।

स्वराज्य-आन्दोलन और उसके बाद

गांधी बाबा का आन्दोलन चला। यहाँ छोटानागपुर में 'टाना भगतों' का आन्दोलन भी चला था। यह कुछ सामाजिक था और कुछ राजनीतिक था। इनका कहना था, और अभी भी कहना यह है कि जमीन भगवान की है, इसकी मालगुजारी हम सरकार को नहीं देंगे। गांधी बाबा के आन्दोलन की बात सुनकर ये कलकत्ता के कांग्रेस-अधिवेशन में पहुँचे। और बाबू राजेन्द्र प्रसाद से इनका बहुत सम्पर्क हुआ, और इस तरह आदिवासियों ने भी स्वराज्य-आन्दोलन में भाग लिया।

स्वराज्य मिला। गांधी बाबा शहीद होकर अमर हुए! 'सेकुलर गवर्मेण्ट आयी। छोटे-बड़े स्कूलों में धर्म की पढ़ाई बन्द कर दी गयी। इसकी सजा भी सरकारी अफसरों के द्वारा कहीं-कहीं लोगों को भुगतनी पड़ी। स्कूलों का अनुशासन धर्म-कर्म की पढ़ाई छोड़ देने पर कमजोर होता चला गया। हमारे कुछ आदिवासी 'लीडरों' का कहना है कि भगवान को स्कूल से निकाल दिया गया और अनुशासन खराब हुआ। स्वराज्य होने पर और खासकर श्री के० बी० सहाय के 'रेवेन्यू मिनिस्टर' होने पर ज्यादा-से-ज्यादा भट्ठियाँ खुलने लगीं। गरीबों के पैसे लुटने लगे। एसेम्बली और कौन्सिलों में आदिवासी नेताओं ने भट्ठियों के विरुद्ध जोरदार आवाज उठायी, लेकिन वे विफल हो गये। अभी तक आवाज उठती है, मगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा इस पंचायत-राज्य में 'परचुनियों' की भरमार हो गयी है। एक्साइज-विभागवाले, थानावाले और कुछ मुखिया 'परचुनियों' से घूस खाकर मोटे होने लगे हैं।

आदिवासियों की एक कमजोरी है नशा-बाजी, दूसरी विशेष कमजोरी है 'हीनभाव'। पहली कमजोरी से आदिवासियों को बचाने के लिए परचुनिया-पद्धति और भट्ठियों का बन्द होना निहायत जरूरी है। दूसरी कमजोरी से बचने के लिए शिक्षा का व्यापक प्रचार, और दूसरों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर और बिना डर आगे बढ़ना जरूरी है।

हमारा निवेदन विनोबा भावे से यही है कि हमारी (आदिवासियों की) स्थिति को समझकर हमारे भविष्य को सुधारने के लिए अच्छी सलाह दें। हमारी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि विनोबा बाबाजी अमर रहें!

—हरमन लकड़ा एम० एल० सी०
खुंटी टोली, सिमडेगा, राँची

आभार और अपेक्षा

दिनांक २२ जुलाई '६९ को भागलपुर जिलादान का महत्त्वपूर्ण कार्य पूर्ण हुआ। इसे सम्पन्न करके भागलपुर जिले के लोगों ने अपने सक्रिय पुरुषार्थ को प्रकट किया। समय-समय पर प्रान्तीय स्तर के नेताओं का मार्ग-दर्शन मिलता रहा। पूर्णिया, मुंगेर तथा दरभंगा के साथियों ने इस महत्वपूर्ण आन्दोलन में हमारी मदद की। भागलपुर जिले के बिहार खादी-ग्रा० संघ के जिला-पदाधिकारी, व्यवस्थापक एवं कार्यकर्ताओं ने अपने भंडार के दैनिक कार्यक्रमों को बन्द करके भागलपुर जिला के जिला शिक्षा-पदाधिकारी की प्रेरणा से स्थानीय शिक्षण-संस्था के अधिकारी और शिक्षक ने अपनी रोज-रोज की जिम्मेवारी को संभालते हुए इस कार्य को पूर्ण करने में लगे। उसके साथ-साथ तमाम राजनैतिक पक्ष, पंचायत समिति, सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के लोगों का जो सराहनीय तथा उत्साहवर्द्धक सहयोग मिला है, उसे हम भूल नहीं सकते। हम सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

अब इस आन्दोलन का प्रथम चरण पूरा हो गया है। यह कार्य इस आन्दोलन का एक संकेत मात्र है। आगे का कार्य ग्राम-निर्माण तथा अहिंसक समाज-रचना का है। यह ज्यादा क्रान्तिकारी कार्य होगा। इस कार्य में और भी विशेष पुरुषार्थ, निष्ठा एवं पराक्रम की आवश्यकता होगी। तभी ग्राम-स्वराज्य की दिशा में समाज आगे बढ़ेगा और मूल्य-परिवर्तन की क्रान्ति होगी। आशा है, जिस प्रकार इस आन्दोलन के प्रथम चरण में सबने उत्साह दिखाया है, उससे दूने उत्साह के साथ आगे के कार्य में जुटेंगे। यह हमारा विनम्र निवेदन है।

विनीत
नागेश्वर सेन, साकेत बिहारी सिंह
मंत्री
जिला ग्रामदान-प्राप्ति समिति
भागलपुर (बिहार)

तरुण-शान्ति-सेना

भागलपुर में 'हिरोशिमा-दिवस'

गत ६ अगस्त को तरुण-शान्ति-सेना भागलपुर के तत्त्वावधान में तरुण-शान्ति-सेना दिवस (हिरोशिमा-दिवस) मनाया गया। इस अवसर पर सुबह स्थानीय जरलाही मुहल्ला में सफाई का काम किया गया। भागलपुर शहर में यह मेहतरों की बस्ती है और वहाँ की सफाई नगरपालिका द्वारा भी सम्भव नहीं हो पा रही थी। तरुण-शान्ति-सेना के इस प्रयास में नगरपालिका के अधिकारियों ने भी साथ दिया तथा अपूर्ण काम को पूरा करने का आश्वासन दिया।

दोपहर में तरुण-शान्ति-सेना के लिए सदस्य बनाने का अभियान चलाया गया, और १५ नये सदस्य बनाये गये। संध्या में एक मौन जुलूस निकाला गया, जो शहर के प्रमुख सड़कों से गुजरता हुआ, श्री मारवाड़ी कन्या पाठशाला में आकर सभा में परिणत हो गया। जुलूस में सभी सदस्यों के हाथ में 'प्लेकार्ड' थे, जिन पर निम्नलिखित वाक्य अंकित थे : राष्ट्रीय एकता : जिन्दाबाद, हमारा मंत्र : जय जगत्, हमारा लक्ष्य। विश्व-शान्ति, लाटरी : जुआ है, लाटरी : मत खरीदें, लाटरी : बन्द करें, अनैतिक कमाई : नहीं चाहिए, ६ अगस्त : तरुण-शान्ति-सेना दिवस, ६ अगस्त : हिरो-शिमा-दिवस।

शाम को एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता श्री आनन्द शास्त्री, उपनिदेशक, जनसम्पर्क विभाग, भागलपुर ने की। तरुण शान्ति-सेना के सदस्यों ने आगत सज्जनों का स्वागत किया। सभा का आरम्भ शान्ति-गीत से किया गया। संयोजक तरुण-शान्ति-सेना भागलपुर ने तरुण-शान्ति-सेना का संक्षिप्त परिचय दिया तथा 'हिरोशिमा-दिवस' को तरुण-शान्ति-सेना दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इस पर प्रकाश डाला।

श्री मोहरी लाल सिंघानेका, एडवोकेट, मार्गदर्शक तरुण-शान्ति-सेना भागलपुर, ने इस अवसर पर तरुण-शान्ति-सेना के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तरुण-शान्ति-सेना दिवस, जो आज मनाया जा रहा है, वह हिंसा के विरुद्ध अहिंसात्मक कदम है, आज अहिंसा का स्थान संसार में सर्वोपरी है। इन्होंने कहा कि तरुण-शान्ति-सेना अहिंसात्मक सेना है, जिसका काम है सत्य, प्रेम और करुणा से समाज के मानवों के हृदय को बदलना। तरुण शान्ति-सेना समाज-सेवा और शान्तिमय ढंग से किसी भी समस्या का समाधान करती आ रही है। आज इस तरह की संस्था की आवश्यकता देश को है।

आपने लाटरी को सरकारी-जुआ बताया, तथा जनता से आह्वान किया कि लाटरी के टिकट न खरीदें तथा सरकार से इस अनैतिक कमाई को तुरन्त बन्द कर देने की अपील की।

शहर के अन्य विशिष्ट नागरिकों ने भी अहिंसा के महत्त्व, तरुण-शान्ति-सेना के कामों की प्रशंसा तथा लाटरी का विरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में कहा कि, यह शताब्दी-वर्ष है। अतः बापू की आत्मा की शान्ति के लिए हमें दृढ़संकल्प होकर समाज-सेवा का काम करना है, तथा बापू के संदेश को घर-घर पहुँचाना है।

इस अवसरों पर बिहार सरकार की मोद-मंडली के कलाकारों एवं तरुण-शान्ति-सेना भागलपुर के कलाकारों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उपस्थित किया, शान्ति-गीत, और जागरण गीत ने तो सचमुच सभी दर्शकों को मुग्ध कर दिया।

अन्त में तरुण-शान्ति-सेना, भागलपुर के संयोजक ने सभा में उपस्थित तथा नगर के अन्य सहयोगी सज्जनों के प्रति आभार प्रकट किया।

लाटरी के विरोध में तरुण-शान्ति-सेना का प्रस्ताव

यह सभा विभिन्न राज्य-सरकारों द्वारा संचालित लाटरी की व्यवस्था को नैतिकता के खिलाफ एक विश्वासघात समझती है। जब व्यक्तिगत रूप से जुआ एक कानूनी एवं सामाजिक अपराध है, तो फिर राज्य द्वारा संचालित लाटरी के रूप में यह जुआ निश्चित रूप से एक भीषण सामाजिक अपराध है। विशेषकर गांधी-शताब्दी वर्ष में लाटरी को सरकार का संरक्षण सचमुच एक मार्मिक वेदना का प्रश्न है।

यह सभा विभिन्न प्रदेशों की सरकारों के साथ बिहार-सरकार से भी जोरदार अपील करती है कि इस अनैतिक कमाई की पहली किश्त को तो स्थगित करे ही, साथ-साथ आगे इस काम को बन्द करे।

—संयोजक

भारत में सर्वोदय आन्दोलन

भारत में ग्रामदान-प्राप्ति-अभियान आगे बढ़ रहा है। बिहार में हजारीबाग, पलामू और भागलपुर जिलादान हुए। वैसे ही गुजरात के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अक्तूबर तक बड़ौदा जिला ग्रामदान हो जाय। महाराष्ट्र में ठाणा जिला अक्तूबर तक ग्रामदान में लाने की योजना महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल के एरंडोल सम्मेलन में ३ अगस्त को बनायी गयी है।

राजकोट में गत सप्ताह में हुई सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति ने अक्तूबर तक कुल ५० जिलादान सम्पन्न कराने का निश्चय किया और प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय और अठारहवाँ अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन राजगीर (बिहार) में खान अब्दुल गफार खाँ के भाग लेने के उपलक्ष्य में शान्ति-सेना की एक टुकड़ी दस हजार शान्ति-सैनिकों की "खुदाई खिदमतगार" नाम से संगठित की जायगी।

ठाकुरदास बंग
मंत्री, सर्व सेवा संघ

विनोबाजी का कार्यक्रम

अगस्त	स्थान	दूरी : मीलों में
	२७ तक पूर्ववत्	
	उड़ीसा :	
२८	जमशेदपुर से रायरंगपुर	४५
२९	रायरंगपुर से करंजिया	४०
३१	करंजिया से बीसोई	४०
३०	बीसोई से बारीपदा	३०

पता : द्वारा—श्री प्रशान्तकुमार महन्ती,
भूदान-आफिस, पो० बारीपदा,
जिला मयूरभंज, उड़ीसा।

www.vinoba.in

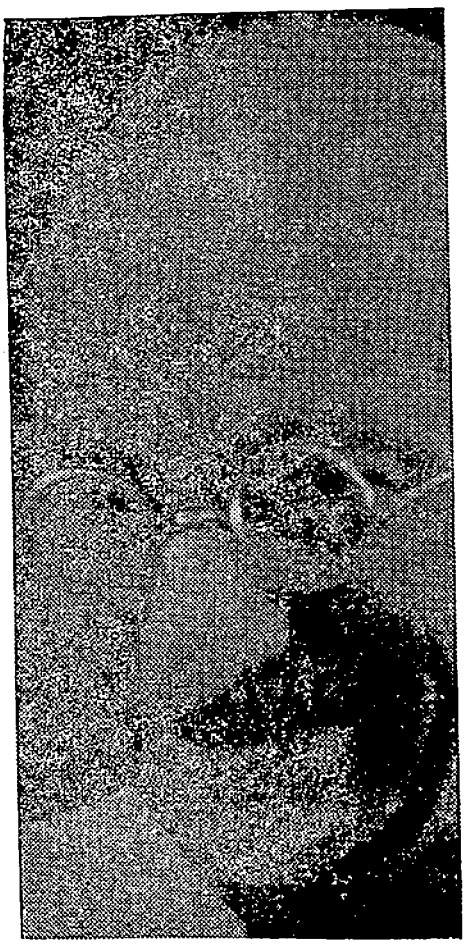

विवेकरहित विरोध
बनाम
बुनियादी परिवर्तन-प्रक्रिया

"शासन के खिलाफ विवेकरहित विरोध चलाया जाय तो उससे अराजकता की, अनियंत्रित स्वच्छंदता की स्थिति पैदा होगी और समाज अपने हाथों अपना नाश कर डालेगा।"

—गांधीजी

आज देश में आये दिन घेराव, धरना, लूटपाट, आगजनी, कथित सत्याग्रह की कार्रवाइयाँ लोकतंत्र में सामूहिक विरोध के हक के नाम पर होती हैं।

सर्वोदय-आन्दोलन भी वर्तमान समाज, अर्थ और शासन-व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह है। किन्तु, वह इसका एक नियंत्रित, रचनात्मक एवं अहिंसक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।

इसके लिए पढ़िए, मनन कीजिए :—

(१) हिन्द स्वराज्य —गांधीजी

(२) ग्रामदान —विनोबाजी

फिर एक जिम्मेवार नागरिक के नाते समाज-परिवर्तन की इस क्रान्तिकारी प्रक्रिया में योग भी दीजिए।

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी-जन्म-शताब्दी-समिति)
ढूंकलिया भवन, कुन्दीगरों का भैंरू, जयपुर-३ राजस्थान द्वारा प्रसारित।

www.vinoba.in

हिमांचल की याद

पिछली तीन जुलाई को हमने हिमांचल प्रदेश की करीब तीन महीने की यात्रा पूरी करके पंजाब में प्रवेश किया। ईश्वर की बनायी हुई सीमा तो नहीं है, यह मानव-कल्पित सीमा ही है। हम चल रहे थे पंजाब की ओर लेकिन आसमान, चांद-सितारे, वायु और धरती, ये भी हमारे साथ चल रहे थे। ऊपर-नीचे सब कुछ एक-से ही थे, केवल एक पत्थर जिसमें 'पंजाब' लिखा हुआ था, वह खड़ा था सीमा को बताने के लिए।

नया प्रांत शुरू हो गया, आधुनिक जमाने के तीर्थक्षेत्र (भाखरा) नांगल में हमारा पड़ाव था। सतलज नदी बह रही थी, एक ही बात वह जानती है—बहते रहना। कर्मयोग की दीक्षा तो दे ही रही थी, साथ-साथ करुणा की दीक्षा भी। विज्ञान ने प्रबल वेग से बहनेवाली नदी को भी रोककर एक विशिष्ट दिशा में उसके प्रवाह को मोड़ दिया, वह भी देखा। यहाँ मानवनिर्मित विभूति देखी और हिमांचल में ईश्वरीय विभूति देखी!

६ अप्रैल को ही अम्बाला जिला (हरियाणा) से हमने हिमांचल में प्रवेश किया था। पहाड़ों की शृंखलाएँ आरम्भ हो गयी थीं। अनेक प्रकार के जंगल के अनामिक सुन्दर फूल देखे। वहाँ शीशम और बबूल के पेड़ नहीं चीड़, देवदारु, फिल आदि के मंदिर-जैसे वृक्ष थे। उसके बीच में से जब हवा अपनी गति में गुजरती तो संगीत की मधुर ध्वनि-सी लगती थी। छोटे-छोटे गाँव, कहीं एक घर का ही गाँव तो कहीं १० घर का गाँव, एक गाँव पहाड़ों के शिखर पर, तो दूसरा गहरी खाई में! धान, मक्की, गेहूँ की खेती होती है, लेकिन बड़े खेत उन लोगों के पास नहीं हैं। पहाड़ों को काटकर सीढ़ियाँ बनाकर लोगों ने खेत बनाये हैं। हमारा पड़ाव ७२०० फुट ऊँचाई पर भी रहा, जहाँ बरफ पड़ती है। वहाँ सेब, आड़ू और नास-पाती के बड़े-बड़े बगीचे देखे; जो फूलों से लदे हुए थे। चीड़ के पेड़ों में से बरुजा निकलता है, जो पेन्ट करने के काम में आता है। नमक की खदान भी देखे हैं। नमकीन नदी भी बह रही थी, पहाड़ों पर से नमक (काला पत्थर जैसा नमक) लेनेवाले लोग वहाँ आते थे। सरल और सादे लोग! गर्मी के दिन आ रहे थे, इसलिए भेड़ चरानेवाले गड़ेरिये अपनी-अपनी भेड़ों को ऊँचाई पर ले जा रहे थे। एक-एक गड़ेरिये के पास सैकड़ों भेड़ें होती थीं और गड़ेरियों की सीटी के पीछे-पीछे वे चलती थीं। घर-घर में ऊन और पशमीने का सूत कातते हैं और गाँव के बुनकरों से बुनवा लेते हैं। परिश्रम और तपस्या के कारण उनके चेहरों में तेज दिखाई देता है। एक दिन छोटे आठ-दस साल के दो बच्चे दिखे, जो गधे पर पत्थर लेकर पहाड़ पर सैकड़ों फुट ऊपर चढ़नेवाले थे। उनके चेहरों में भगवान ने अपनी प्रसन्नता की मुहर लगा दी थी।

कुल ४०० मील की यात्रा हिमांचल में हुई। सैकड़ों फुट की चढ़ाई, सैकड़ों फुट का उतार भी रहा। कभी सरकारी रेस्ट हाउस में पड़ाव, तो कभी बिना दरवाजा-खिड़की के घर में पड़ाव! ८८ दिनों की यात्रा में कितने ही लोगों से हमारा मिलना हुआ। चाहे शहर हो, चाहे गाँव हो, हमें सज्जनों से मिलने का मौका मिला। सज्जनों की कमी अपने देश में नहीं है, कमी है उनके संगठनों की। यहाँ की बहनें विशेष पर्दा नहीं करतीं। फिर भी सामाजिक बंधन तो हैं, और अपनी जो कम-जोरियाँ हैं, उनको हटाये बगैर स्त्री-शक्ति खड़ी नहीं होगी।

जनता-जनार्दन को सर्वोदय-विचार का आकर्षण है, यह भान हुआ। गरीब होते हुए भी जनता ने सर्वोदय-विचार को फैलाने के लिए हमें २,८०७८०२२ पैसे भेंट में दिये। साथ-साथ विचार-मंथन के लिए लोगों ने सर्वोदय-साहित्य भी लिया। इन तीन महीनों में करीब १२००रुपये के साहित्य की बिक्री हुई।

हिमांचल प्रदेश से हम अब दूर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ का खूबसूरत नजारा, सरल-सौम्य जनता, ऊँचे-नीचे टेढ़े-मेढ़े रास्ते और बहती हुई नदियाँ; इन सबकी मधुर स्मृति साथ लेकर जा रहे हैं, इसलिए दूर होते हुए भी नजदीक ही हैं।

—लक्ष्मी बहन

बिहारदान की ओर

गत २ अगस्त १९६९ को राँची स्थित विनोबा-निवास पर बिहार के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक श्री ध्वजा प्रसाद साहु की अध्यक्षता में हुई। उस बैठक में यह जानकारी दी गयी कि बिहार के १३ जिलों के जिलादान की घोषणा हो चुकी है। अब सिर्फ चार जिलों में काम शेष है।

बिहार ग्रामदान-प्राप्ति संयोजन समिति के मंत्री श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी ने बताया कि एक-एक महीने का समय हम लोग बराबर लेते जा रहे हैं, और बिहारदान की अन्तिम तिथि इस तरह सरकती जा रही है। अब तो २ अक्तूबर भी नजदीक आ गया, तथा बिहार के मित्रों को आगामी सर्वोदय सम्मेलन की तैयारी में भी लगना है। अतः बिहारदान शीघ्र सम्पन्न होना ही चाहिए। उन्होंने यह बताया कि अब आदिवासी क्षेत्रों में विरोध घटा है। अतः एक बार संयोजित शक्ति लगे, तो निश्चित ही बाकी के प्रखंडों का प्रखंडदान शीघ्र हो जायेगा। बिहार की सहायता में अखिल भारतीय नेताओं का भी समय मिला है, और वे लोग अगस्त माह में कम-से-कम १५ दिनों के लिए आ रहे हैं।

शाहाबाद जिले का जिलादान १५ अगस्त तक सम्पन्न करने का संयोजन किया गया। इसके अलावा सिंहभूमि एवं संतालपरगना का जिलादान ३१ अगस्त तक हो जाय, ऐसा संयोजन किया गया। राँची जिले के भी अगस्त माह तक आधे से अधिक प्रखंडदान हो जायँ, ऐसा संयोजन किया गया। आचार्य विनोबा और श्री जयप्रकाश नारायण के दौरे भी आयोजित किये गये हैं।

इस तरह अब ऐसी आशा दीख रही है कि ११ सितम्बर तक शायद राँची के कुछ प्रखंडों को छोड़कर बिहार के सारे प्रखंडों का प्रखंडदान निश्चित रूप से हो जायगा।

—कैलाश प्रसाद शर्मा

बिहार ग्रामदान-प्राप्ति संयोजन समिति

कैम्प-राँची

पन्द्रह सौ पृष्ठों का साहित्य सात रुपये में

प्रत्येक हिन्दीप्रेमी परिवार में बापू की अमर और प्रेरक वाणी पहुँचनी चाहिए। गांधी-वाणी या गांधी-विचार में जीवन-निर्माण, समाज-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण की वह शक्ति भरी है, जो हमारी कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी, परिवार में ऐसे साहित्य के पठन, मनन और चिन्तन से वातावरण में नयी सुगन्धि, शान्ति और भाईचारे का निर्माण होगा।

गांधी जन्म-शताब्दी के अवसर पर हम सबकी शक्ति इसमें लगनी चाहिए।

पन्द्रह सौ पृष्ठों का आकर्षक चुना हुआ गांधी-विचार-साहित्य सात रुपये में हर परिवार में जाय, इसका संयुक्त प्रयास गांधी स्मारक निधि, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और सर्व सेवा संघ की ओर से हो रहा है। हर संस्था और व्यक्ति, जो गांधी-शताब्दी के कार्य में दिलचस्पी रखते हैं, इस सेट के अधिकाधिक प्रसार-कार्य में सहयोगी होंगे, ऐसी आशा है।

रं० रा० दिवाकर
अध्यक्ष
गांधी स्मारक निधि, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान

उ० न० ढेबर
अध्यक्ष, खादी-ग्रामोद्योग कमीशन

विचित्र नारायण शर्मा
उपाध्यक्ष, उ० प्र० गांधी-शताब्दी समिति

एस. जगन्नाथन्
अध्यक्ष, सर्व सेवा संघ

जयप्रकाश नारायण
अध्यक्ष
अ० भा० शान्ति-सेना मंडल

राधाकृष्ण बजाज
अध्यक्ष, सर्व सेवा संघ-प्रकाशन

गांधी जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य सेट नं० २

पुस्तक	लेखक	पृष्ठ	मूल्य
१. आत्मकथा (सन् १८६९-१९६९)	: गांधीजी	१७६	१·००
२. बापू-कथा (सन् १९२०-१९४८)	: हरिभाऊ उपाध्याय	३२०	२·५०
३. गीता-बोध व मंगल प्रभात	: गांधीजी	११२	१·२५
४. मेरे सपनों का भारत (संक्षिप्त)	: गांधीजी	१७६	१·२५
५. तीसरी शक्ति (सन् १९४८-१९६९)	: विनोबा	२१६	२·००
६. गीता-प्रवचन	: विनोबा	३००	२·००
७. संघ-प्रकाशन की एक पुस्तक		१०० से १५०	१·००
		कुल : १४५०	११·००

आवश्यक जानकारी

१. इस सेट में सात पुस्तकें होंगी, जिनका मूल्य ११ रु० होगा। पूरा सेट ७ रु० में मिलेगा।
२. इन सेटों की बिक्री २ अक्तूबर के पावन-दिवस से प्रारम्भ होगी।
३. २८ सेटों का एक बंडल बनेगा। एक बंडल से कम नहीं भेजा जा सकेगा।
४. २८ या अधिक सेट मँगाने पर प्रति सेट ५० पैसे कमीशन मिलेगा।
(सारे सेट फ्री डिलीवरी यानी निकटतम रेलवे-स्टेशन-पहुँच भेजे जायँगे।)
५. सेटों की अग्रिम बुकिंग १ जुलाई १९६९ से शुरू है। अग्रिम बुकिंग के लिए प्रति सेट २ रु० के हिसाब से अग्रिम भेजने चाहिए। शेष रकम के लिए रेलवे-रसीद वी० पी० या बैंक के मार्फत भेजी जायगी।

सर्व सेवा संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

श्री जगन्नाथन् को डेढ़ लाख की थैली समर्पित

वाराणसी, १२ अगस्त। सर्व सेवा संघ की राजकोट में हुई प्रबन्ध समिति की बैठक (२५ से २७ जुलाई तक) के अवसर पर संघ के अध्यक्ष श्री शं० जगन्नाथन् को गुजरात सर्वोदय मंडल की ओर से डेढ़ लाख रुपये की थैली भेंट की गयी।

इस अवसर पर आभार प्रकट करते हुए श्री जगन्नाथन् ने कहा कि देश इस समय संक्रमण-काल से गुजर रहा है। ऐसे अवसर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि बापू के बताये हुए मार्ग पर चलकर ग्राम-स्वराज्य की स्थापना करें। अगर देश ग्रामस्वराज्य के मार्ग पर नहीं चला तो भविष्य में इससे कठिन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। (सप्रेस)

आगरा जिले की किरावली तहसील में ग्रामदान-अभियान

आगरा जिले में ७ तहसीलें हैं। इनमें से फिरोजाबाद, एत्माद्पुर, बाह, खैरागढ़ तहसीलें ग्रामदान में शामिल हो चुकी हैं। निश्चय किया गया है कि २ अक्तूबर से पहले बाकी तहसीलें भी ग्रामदान में शामिल हो जायँ। फतेहाबाद तहसील का शमशाबाद ब्लाक भी ग्रामदान में शामिल हो चुका है। इस समय किरावली तहसील में कार्यकर्ता, ब्लाक-अधिकारी और अध्यापक सब लगे हुए हैं।

सहारनपुर में अभियान

सहारनपुर जिले की देवबन्द तहसील में ग्रामदान ग्रामस्वराज्य-अभियान श्री दया-निधि पटनायक व श्री रामजी भाई के संचालन में दिनांक २९-७-६९ से ५-८-६९ तक २९५ ग्रामों में चला, उनमें से १२२ गाँव ग्रामदान में प्राप्त हुए।

देवबन्द ब्लाक के ७२ गाँवों में २५, नागल ब्लाक के ९२ गाँवों में ३६, रामपुर मनिहारान ब्लाक के ७४गाँवों में से ३४और नानौता ब्लाक में ५७ गाँवों में से २७ गाँव ग्रामदान में घोषित हुए। —चन्द्रशेखर भाई

प्रादेशिक वृत्त

उत्कल

कोरापुट जिलादान घोषित होने के बाद अब मयूरभंज जिलादान के लिए ग्रामदान-प्राप्ति का काम जोरों से चल रहा है। मयूरभंज जिले के कुल ३१२३ गाँवों में से २१०० गाँव ग्रामदान कर चुके हैं। इस जिले का ११ सितम्बर को जिलादान घोषित करने के अभिप्राय से विभिन्न रचनात्मक संस्थाओं के पचास कार्यकर्ताओं का एक जिलादान-अभियान पहली अगस्त से शुरू हुआ। मयूरभंज का काम पूरा हो जाने के बाद बालेश्वर में जिलादान-अभियान शुरू करने की योजना बनी है।

अप्रैल से जून तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में दस प्रखण्ड-स्तरीय शिविर हुए हैं। इसमें १५०० शिविरार्थी शामिल हुए। प्रखण्डदान के काम को आगे बढ़ाने के खयाल से इस तरह के शिविरों की तादाद बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है।

प्रदेश के कुल ३१४ प्रखण्डों में से ६१ प्रखण्डों का दान अबतक हो चुका है। आर्थिक स्थिति अनुकूल न होने के कारण काम को आगे बढ़ाने में रुकावट पैदा होती है। प्रांतीय सर्वोदय मण्डल ने यह निश्चय किया है कि २ अक्तूबर के दिन उत्कल के हर गाँव को ग्रामस्वराज्य का संकल्प लेने के लिए तथा जिन गाँवों के लोगों ने अबतक ग्रामदान का संकल्प-पत्र पूरा नहीं किया है, उन्हें उसी दिन ग्रामदान घोषित करने के लिए निवेदन किया जायेगा।

तमिलनाडु

यहाँ दूसरे स्टेज पर कोयम्बटूर, तंजौर और चिंगलपेट, इन तीन जिलों में आन्दोलन प्रगति पर है। यह ऐसे जिले हैं, जहाँ भूमिवानों की प्रधानता है तथा भूमिहीनता की समस्या है। यदि इन तीन जिलों का ग्रामदान हो जाता है तो सेलम, उत्तर अर्काट तथा दक्षिण अर्काट आदि जिलों का काम बहुत ही आसान हो जाता है। अबतक उक्त तीन जिलों में १५ प्रखण्डदान हो चुके हैं। इन तीनों जिलों का ग्रामदान राजगृह-सम्मेलन तक हो सके, इस ओर पूरी कोशिश जारी है। कन्याकुमारी जिले का काम भी हाथ में लिया जा रहा है। यदि यहाँ वातावरण बन जाता है तो उम्मीद है कि इसका जिलादान भी राजगृह-सम्मेलन तक हो सकता है।

अबतक ४ जिलों का दान हो चुका है। इन चारों जिलों में जिला ग्रामदान-विकास समितियों का पंजीकरण करवाया जा चुका है। इनके मार्फत ग्रामसभाओं का गठन तथा यथासंभव अधिक-से-अधिक गाँवों में बीसवाँ हिस्सा भूमि प्राप्त करना है।

राजस्थान

नये वर्ष के प्रारंभ में नीमकाथाना-अभियान के तत्काल बाद वर्ष के प्रथम तीन माह में राजस्थान के तीन विभिन्न क्षेत्रों में मुख्यतः कार्यकर्ता-प्रशिक्षण व प्राप्ति की दृष्टि से तीन अभियान आयोजित हुए। इनमें बाड़ी-बसेड़ी (भरतपुर), शाहपुरा-बैराठ (जयपुर) तथा पिंडवारा (सिरोही) में क्रमशः १२२, ८७ और ३५ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चौथा अभियान जुलाई की ८ तारीख से सीकर जिले के श्रीमाधोपुर तथा खण्डेला प्रखण्डों में चला, जिसमें करीब १५० कार्यकर्त्ता शामिल हुए। इन अभियानों में ग्रामदान-प्राप्ति क्रमशः ९७, ७६ और २८ थी। चौथे अभियान में श्रीमाधोपुर प्रखण्ड का दान करीब-करीब होने को आया है।

जून में कोटा और नागोर जिले के दो प्रखण्डों में छोटे-छोटे अभियान आयोजित हुए। पर इन दोनों अभियानों की निष्पत्ति बड़ी उत्साहवर्धक रही। कुल मिलाकर इस अवधि में करीब ४०० ग्रामदान हुए।

जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, नागोर व सीकर जिलों में जिले की खादी-संस्थाओं ने मिलकर जिला ग्रामदान-अभियान समितियाँ गठित की हैं और जिलादान के लिए तैयारी कर रहे हैं। अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के साथी भी इस दृष्टि से मिले हैं। अभी यह सोचा गया है कि २५ ३० कार्यकर्ताओं की एक तत्पर टुकड़ी कम-से-कम आगामी ६ माह के लिए रहे, जो बराबर अभियान के काम में लगी रहे। प्रदेश को ६-७ क्षेत्रों में बाँटा गया है और कुल चुने हुए वरिष्ठ साथियों के जिम्मे एक-एक, दो-दो जिलों की जिम्मेवारी सौंपी गयी है, जो अमुक समय तक यह साथी अपना डेरा-डंडा वहीं उनके बीच जा डालें।

पंजाब

अक्तूबर तक कपूरथला जिलादान करवाने का निश्चय किया गया है। पूर्वतैयारी का काय वहाँ शुरू हुआ है। उत्साह जग रहा है और अनुकूलताएँ बन रही हैं। कार्य को तीव्रता देने के लिए प्रान्तीय सर्वोदय मण्डल का कैम्प-कार्यालय भी १५ जुलाई से कपूरथला पहुँच गया है।

२१ जुलाई से दो प्रखण्ड लेकर अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए पंजाब खादी-ग्रामोद्योग संघ ने अपने कुल कार्यकर्ताओं का १।६ अर्थात् लगभग १०० कार्यकर्ता देने का वचन दिया है। गांधी स्मारक निधि, खादी आश्रम, कस्तूरबा सेवा मंदिर और दूसरी संस्थाओं से भी ६०-७० कार्यकर्ता आने की उम्मीद है। इस समय मुख्य कठिनाई पैसे की है। उसके लिए २१ अगस्त से तीन-चार दिन तक श्री जयप्रकाश बाबू का पंजाब में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस यात्रा में एक लाख रुपये से ऊपर की थैली भेंट करने की कोशिश है। आशा है, उस समय तक कपूरथला का जिलादान भी हो सकेगा।

हरियाणा

जहाँ तक हरियाणादान की बात है, पिछले दिनों हरियाणा सर्वोदय मंडल की बैठक में यह विचार आया था। वहाँ के मित्रों में ग्रामदान के काम के लिए बहुत तड़प है, लेकिन कार्यकर्ता-शक्ति, विशेषतः संयोजन की कमी, के कारण अभी हरियाणादान की तैयारी नहीं दीखती। फिलहाल प्रखण्डदान, जिलादान की दिशा में ही काम होगा और प्रतिमाह एक अभियान चलाने की योजना है।

कर्नाटक

संघ के अध्यक्ष श्री जगन्नाथनजी यहाँ पर विशेष शक्ति लगा रहे हैं। कर्नाटक सर्वोदय मण्डल और प्रदेश के सर्वोदय-कार्यकर्ताओं का २४-२५ जून को सम्मेलन हुआ। श्री अण्णासाहब भी उसमें विशेष रूप से उपस्थित थे।

www.vinoba.in

इस सम्मेलन में कर्नाटक के मित्रों ने अक्तूबर तक बीजापुर जिले का ग्रामदान कराने का संकल्प लिया है। अण्णासाहब ने भी एक माह का समय यहाँ के लिए दिया है। बीजापुर में तीन पदयात्राएँ निरंतर चल रही हैं। उससे वातावरण बन रहा है। इसके लिए फण्ड्स भी जुटाने होंगे। कर्नाटक सर्वोदय मण्डल खादी-संस्थाओं तथा गांधी-निधि के पास पहुँच रहा है। अलग से भी अर्थ-संग्रह करने की योजना बन रही है। अण्णासाहब की उपस्थिति से वहाँ इस समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

आन्ध्र

श्री जगन्नाथनजी कड़प्पा हो आये हैं। श्री राधाकृष्णजी ने आन्ध्र के काम का विशेष जिम्मा लिया है। वे भी जुलाई के पहले सप्ताह में आंध्र के साथियों से मिले थे। विजयवाड़ा में आन्ध्र प्रदेश के लगभग ५० कार्यकर्ता साथी वहाँ के काम के बारे में विचार करने के लिए दो दिन तक इकट्ठे हुए थे। इस बैठक में कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।

पोचमपल्ली से दो शान्ति-यात्राएँ, एक तेलंगाना क्षेत्र तथा दूसरी आंध्र क्षेत्र के लिए शुरू हो रही हैं। श्री गोराजी, आर० के० राव, सुब्रमण्यम् तथा कुछ अन्य मित्रों ने इसमें शामिल होना तय किया है। श्री ढेबर भाई और श्री मदालसा बहन भी कुछ समय वहाँ के लिए देंगे। कड़प्पा जिलादान २ अक्तूबर तक हो सके, इसके लिए प्रयत्नशील हैं। श्रीकाकुलम क्षेत्र में कुछ अध्ययन-टोलियाँ जा रही हैं। यहाँ उड़ीसा के सीमावर्ती मित्रों के साथ ग्रामदान प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता तरुण शान्ति-सेना का कार्यक्रम हाथ में लेंगे। श्री लवणम् और शेषगिरि इसमें सहायक होंगे।

गुजरात

अभी तो ग्रामदान के लिए भावनगर जिले में ग्रुप-मीटिंग्स हो रही हैं। पंचमहाल जिले में जुलाई में पदयात्रा आयोजित की गयी है। इस प्रकार से विचार-प्रचार की दिशा में काम होता रहता है। भरुच जिले में कुछ ग्रामदान की प्राप्ति हुई, लेकिन अभी वहाँ का काम भी रुका पड़ा है। सभी कार्यकर्त्ताओं की एकाग्र शक्ति भी ग्रामदान में लगी नहीं है।

पश्चिम बंगाल

नक्सालबाड़ी के हंगामे के बाद ग्रामदान आन्दोलन नक्सालबाड़ी में केन्द्रित किया है। श्री चारु बाबू के परिचालन में यहाँ ग्रामदान-अभियान चल रहा है। श्री विनोबाजी ९ जून '६९ को एक दिन के लिए राँची जाते समय पुरुलिया रुके थे। पुरुलिया का प्रखण्डदान भेंट करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वह हो नहीं सका। श्री विनोबाजी ने इस क्षेत्र को "बाटलनेक आफ इण्डिया" कहा है। अबतक इस क्षेत्र में इस्लामपुर प्रखण्ड और जलपाईगुडी जिले के आधे भाग में प्रचार-कार्य किया गया है। गाँव-गाँव में ग्रामदान के पोस्टर्स तथा प्रचार-सामग्री वितरण की गयी है। बैठकें और सभाएँ हुई हैं। अबतक पाँच ग्रामदान मिले हैं।

संयुक्त मोर्चा सरकार बनने के बाद वहाँ कम्यूनिस्ट-सक्रियता बढ़ गयी है। अब तो कहीं-कहीं परिस्थिति बदल भी गयी है। भूमि-मालिक ग्रामदान करना चाहते हैं, लेकिन भूमिहीन मजदूर ग्रामदान में आना नहीं चाहते, क्योंकि अब 'बीघे में कट्ठा' जमीन से उनको संतोष नहीं है और वे यह मानते हैं कि इसमें जमीन की मालकियत भी नहीं रहेगी। उनको आशा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के बदौलत उनको ज्यादा जमीन मिलनेवाली है। जमींदारी-उन्मूलन कानून के तहत जो जमीन सरकार में निहीत हुई, वह जमीन अब सरकार उनके समर्थक भूमिहीन लोगों को बाँट रही है। इसके अलावा भूमिपतियों ने जो जमीन अपने सम्बन्धियों और दूसरों के नाम ट्रान्सफर की थी, मार्क्सिस्ट कम्यूनिस्ट दल के सैकड़ों लोग उस पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। कानूनी पद्धति का इस्तेमाल करने की बात ही नहीं रही है। उसमें पुलिस की तरफ से भूमिवालों की रक्षा करने में भी मनाई है। इस अवस्था में अराजकता की स्थिति वहाँ पैदा हुई है। इस हालत में लोगों को ग्रामदान की तरफ आकर्षित करना और भी कठिन काम हुआ है।

श्री विनोबाजी की प्रेरणा से वहाँ के काम के लिए एक लाख रुपये के करीब अंकित दान मिला है। इसकी सहायता से आगे काम की योजना बनायी जा रही है।

उत्तरप्रदेश में अबतक २० हजार गाँवों का ग्रामदान

वाराणसी, १२ अगस्त। उत्तर प्रदेश ग्रामदान-प्राप्ति समिति के राजघाट स्थित प्रधान कार्यालय से समाचार मिला है कि गत जून के अन्त तक उत्तर प्रदेश के ४१ जिलों में कुल १८,७०६ ग्रामदान, ९७ प्रखंडदान एवं २ जिलादान हुए थे। जुलाई महीने में १२९४ नये ग्रामदान एवं ७ प्रखंडदान और हुए। इस प्रकार जुलाई के अन्त तक २०,००० ग्रामदान, १०४ प्रखंडदान हुए हैं।

प्राप्त सूचनानुसार पीलीभीत जिले में १४ जुलाई से ग्रामदान-अभियान का प्रथम दौर शुरू हुआ। देहरादून से श्रीमती शशि बहन और सुश्री चम्पाबहन ने भी लालौरी-खेड़ा ब्लाक में पदयात्रा की। फलस्वरूप ९५ ग्रामदान प्राप्त हुए। मैनपुरी जिले की भोगाँव तहसील में ३२३ ग्रामदान, गाजीपुर जिले के रेवतीपुर ब्लाक में ४३, भदौरा ब्लाक में ३३ ग्रामदान १ प्रखंडदान, उन्नाव की बिछिया तहसील में ३ और ग्रामदान, देवरिया जिले में ३७४ ग्रामदान ४ प्रखंडदान, फैजाबाद जिले के तारुन ब्लाक में १२७ और भीटी ब्लाक में १५१ ग्रामदान २ प्रखंडदान, मिर्जापुर जिले में ७८ ग्रामदान, मुरादाबाद जिले के सम्भल ब्लाक में ७५ ग्रामदान हुए हैं। समिति के संयोजक श्री कपिलभाई ने प्रवास से सूचना दी है कि आगामी २ अक्तूबर तक ११ जिलों का जिलादान पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं की टीमें सक्रिय हैं।

वार्षिक शुल्क : १० रु०; विदेश में २० रु०; या २५ शिलिंग या ३ डालर। एक प्रति : २० पैसे।
श्रीकृष्णदत्त भट्ट द्वारा सर्व सेवा संघ के लिए प्रकाशित एवं इण्डियन प्रेस (प्रा०) लि० वाराणसी में मुद्रित।